अध्याय-III

बजटीय प्रबंधन

अध्याय - III
बजटीय प्रबंधन

3.1 बजट प्रक्रिया

भारत के संविधान के अनुच्छेद 202 की अनुपालना में राज्यपाल राज्य के विधानमण्डल के समक्ष प्रत्येक वित्तीय वर्ष के सम्बन्ध में राज्य की उस वर्ष हेतु प्राक्कलित प्राप्तियों एवं व्यय का विवरण, जिसे "वार्षिक वित्तीय विवरणी (बजट)" कहा जाता है, रखवाएंगे। व्यय के प्राक्कलन, व्यय की "प्रभारित" एवं "दत्तमत" मदों[1] को अलग-अलग प्रदर्शित करते हैं तथा राजस्व लेखे पर व्यय को अन्य व्यय से अलग करते हैं। राज्य सरकार द्वारा कोई भी व्यय करने से पहले विधायिका से प्राधिकार लेना आवश्यक होता है। बजट संबंधी महत्वपूर्ण शब्दों की शब्दावली **परिशिष्ट 3.1** में दी गई है।

हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियमावली के अनुसार वित्त विभाग विभिन्न विभागों से प्राक्कलन प्राप्त करके वार्षिक बजट बनाता है। नियंत्रण अधिकारी विभाग प्रमुखों के परामर्श पर प्राप्तियों एवं व्यय का विभागीय प्राक्कलन बनाते हैं तथा निर्धारित तिथियों पर वित्त विभाग को प्रस्तुत करते हैं। वित्त विभाग प्राक्कलनों को समेकित कर विस्तृत प्राक्कलन बनाता है जिसे 'अनुदान-मांग' कहा जाता है। राज्य का बजट **चार्ट 3.1** में दिए गए निम्नलिखित दस्तावेजों से मिल कर बनता है।

चार्ट 3.1: राज्य के बजट दस्तावेज एवं घटकों का विवरण

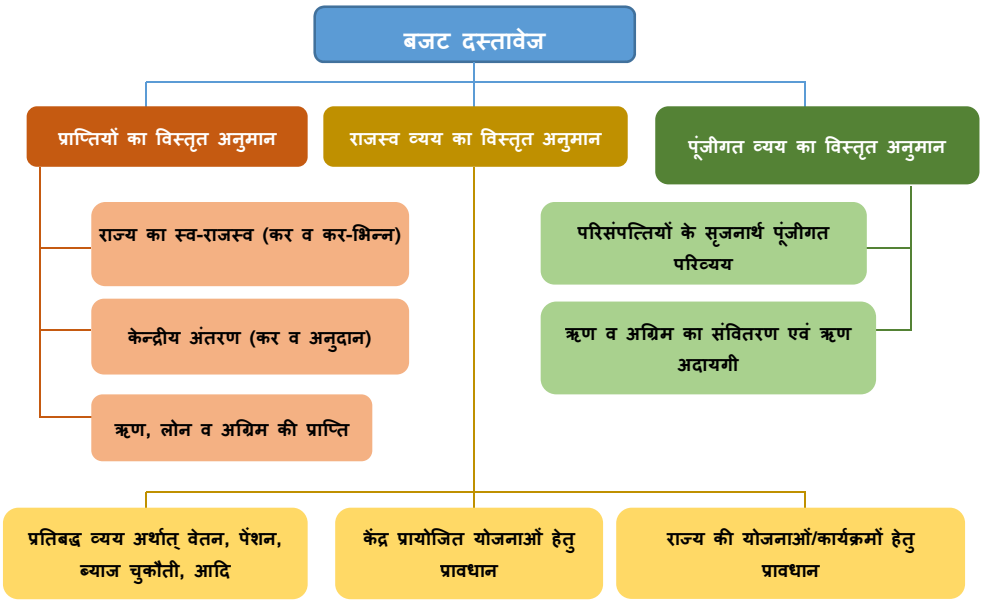

[1] **प्रभारित व्यय:** व्यय की कुछ श्रेणियां (अर्थात् संवैधानिक प्राधिकरणों के वेतन, ऋण चुकौती, इत्यादि) राज्य की समेकित निधि पर प्रभार गठित करती है तथा इनके लिए विधायिका की सम्मति आवश्यक नहीं होती। **दत्तमत व्यय:** अन्य सभी व्यय हेतु विधायिका की सम्मति आवश्यक होती है।

वर्ष 2023-24 हेतु बजट कार्यान्वयन का सारांश **चार्ट 3.2** में नीचे दर्शाया गया है:

चार्ट 3.2: वर्ष 2023-24 के बजट कार्यान्वयन का सारांश

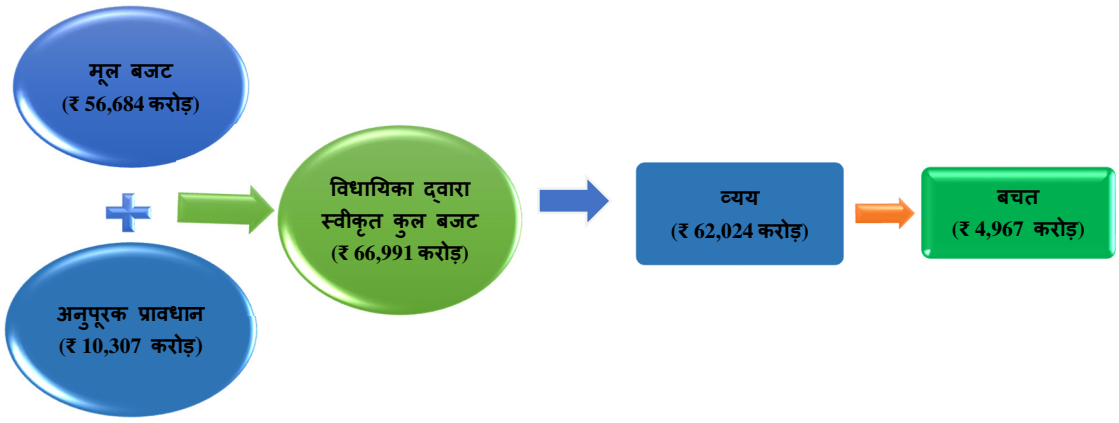

स्रोत: विनियोजन लेखे

3.1.1 लैंगिक (जेंडर) बजट

जेंडर बजट लिंग आधारित संवेदनशील मुद्दों को हल करने का एक साधन है। यह सरकार की पूरी नीति प्रकिया को लैंगिक परिप्रेक्ष्य में देखने के लिए बजट का उपयोग शुरूआती उपाय के रूप में करता है। जेंडर बजट यह भी मानता है कि बजट महिलाओं एवं बालिकाओं की दयनीय स्थिति को सुधारने का एक शक्तिशाली साधन है जो उनकी अवस्था व जीवन को बदल सकता है। साथ ही जेंडर बजट यह भी मानता है कि यदि लैंगिक असमानताओं को दूर करना है, तो केवल लैंगिक संवेदनशील कानून, कार्यक्रम और योजनाएं बनाना ही पर्याप्त नहीं है, अपितु वांछित परिणामों की प्राप्ति हेतु पर्याप्त मौद्रिक आवंटन प्रदान करना होगा। आमतौर पर सरकारें लैंगिक समानता एवं महिलाओं को मुख्यधारा में लाने के प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त करती हैं परन्तु अक्सर सरकार के नीतिगत बयानों और उसके धन जुटाने व खर्च करने के तरीकों के मध्य अंतर होता है।

अतः यह सुनिश्चित करते हुए कि सार्वजनिक धन अधिक प्रभावी ढंग से अर्जित एवं व्यय किया जाएगा, जेंडर संवेदनशील बजट की पहल इन अंतरों को पाटने में सहायता कर सकती है। इस अवधारणा पर कार्य करते हुए भारत सरकार ने सबसे पहले वर्ष 2005-06 में भारत की बजट प्रक्रिया में जेंडर संवेदनशील बजट को समन्वित किया और तब से हर वर्ष यह लिंग आधारित विवरण तैयार एवं प्रकाशित कर रही है। भारत सरकार का जेंडर बजट विवरण दो भागों में विभाजित है- भाग क, यथा, 100 प्रतिशत महिला-विशिष्ट कार्यक्रमों पर व्यय एवं भाग ख, यथा उन कार्यक्रमों पर व्यय जहां कम से कम 30 प्रतिशत महिलाएं सम्मिलित हो।

लैंगिक समानता को बढ़ावा देना हिमाचल प्रदेश सरकार की सामाजिक और आर्थिक नीतियों के केंद्र में भी है। विधानों, नीतियों व कार्यक्रमों में जेंडर संवेदनशील बजट को मुख्यधारा में लाने के लिए राज्य सरकार वित्तीय वर्ष 2022-23 से प्रारंभ करके प्रति वर्ष जेंडर बजट विवरण (वित्तीय व भौतिक) तैयार करने का विचार भी कर रही है ताकि लैंगिक दृष्टिकोण/परिप्रेक्ष्य से

विभागीय योजनाओं की प्रगति की समीक्षा हेतु एक रिपोर्टिंग तंत्र विकसित कर अपनाया जा सके। केवल महिला लाभार्थियों को लक्ष्य करने वाली योजनाएं, या 100 प्रतिशत महिला-उन्मुख योजनाएं श्रेणी-1 में रखी गई हैं तथा 100 प्रतिशत से कम महिला लाभार्थियों वाली योजनाएं श्रेणी-2 में हैं।

जेंडर बजट दस्तावेज़ में श्रेणी-1 योजनाओं के लिए बजट अनुमान ₹ 415.05 करोड़ रखा गया था। परन्तु वास्तव में इन योजनाओं के लिए केवल ₹ 284.02 करोड़ का कुल बजट आवंटित किया गया तथा इन योजनाओं पर ₹ 281.77 करोड़ का व्यय हुआ। इसके अतिरिक्त श्रेणी-1 में कुल 33 योजनाएं हैं, जिनमें 12 योजनाएं केन्द्र की एवं 21 राज्य की योजनाएं हैं। इन योजनाओं का विवरण **परिशिष्ट 3.2** में दिया गया है।

3.1.2 वित्तीय वर्ष के दौरान कुल प्रावधानों, वास्तविक संवितरण एवं बचत का सारांश

वर्ष 2023-24 में व्यय हेतु कुल बजट प्रावधान ₹ 66,991 करोड़ था। वर्ष के दौरान वास्तविक व्यय ₹ 62,024 करोड़ (92.59 प्रतिशत) रहा। इसके परिणामस्वरूप ₹ 4,967 करोड़ (7.41 प्रतिशत) की बचत हुई। वर्ष 2023-24 के दौरान सभी 32 अनुदानों/ विनियोजनों हेतु बजटीय प्रावधानों की तुलना में वास्तविक व्यय की संक्षिप्त स्थिति **तालिका 3.1** में दी गई है।

तालिका 3.1: वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान बजट प्रावधान, वास्तविक संवितरण एवं बचत/आधिक्य

(₹ करोड़ में)

कुल बजट प्रावधान		संवितरण		बचत(-)/आधिक्य(+)	
दत्तमत	प्रभारित	दत्तमत	प्रभारित	दत्तमत	प्रभारित
52,318	14,673	48,376	13,648	-3,942	-1,025

स्रोत: विनियोजन लेखे

3.1.3 प्रभारित एवं दत्तमत संवितरण

विगत पांच वर्षों (2019-24) के दौरान प्रभारित एवं दत्तमत के रूप में वर्गीकृत कुल बजट व संवितरण की स्थिति **तालिका 3.2** में दी गई है।

तालिका 3.2: 2019-20 से 2023-24 के दौरान संवितरण एवं बचत/ आधिक्य

(₹ करोड़ में)

वर्ष	कुल बजट प्रावधान		संवितरण		बचत(-)/आधिक्य(+)	
	दत्तमत	दत्तमत	दत्तमत	प्रभारित	दत्तमत	प्रभारित
2019-20	42,255	11,453	34,507	11,021	-7,748	-432
2020-21	45,157	16,440	37,440	15,699	-7,717	-741
2021-22	45,270	10,445	41,020	9,109	-4,250	-1,336
2022-23	51,164	16,569	48,390	15,073	-2,774	-1,496
2023-24	52,318	14,673	48,376	13,648	-3,942	-1,025

स्रोत: विनियोजन लेखे

जैसाकि **तालिका 3.2** से स्पष्ट है, दोनों प्रभागों अर्थात् दत्तमत एवं प्रभारित में बचत हुई। वर्ष 2019-20 से 2022-23 तक बचत (दत्तमत) में घटती प्रवृत्ति रही, किन्तु वर्ष 2023-24 में इसमें विगत वर्ष की तुलना में वृद्धि हुई, जबकि वर्ष 2019-20 से 2022-23 तक बचत (प्रभारित) में बढ़ती प्रवृत्ति रही, किन्तु वर्ष 2023-24 के दौरान इसमें गिरावट हुई। **परिच्छेद 3.3.7** में अधिक मात्रा में एवं निरंतर बचत के मामलों पर प्रकाश डाला गया है।

3.1.4 बजट लक्ष्य प्राप्ति

समग्र बजट आउटटर्न (परिणाम)

समग्र बजट आउटटर्न उस अधिकतम सीमा को मापता है, जिससे समग्र बजट व्यय आउटटर्न/वास्तविक व्यय, मूल रूप से स्वीकृत राशि को स्वीकृत से कम व स्वीकृत से अधिक दोनों के संदर्भ में दर्शाता है। वर्ष 2023-24 का कुल बजट आउटटर्न **तालिका 3.3** में दिया गया है।

तालिका 3.3: समग्र बजट आउटटर्न

(₹ करोड़ में)

विवरण	स्वीकृत मूल बजट (बजट अनुमान)	वास्तविक आउटटर्न	बजट अनुमान व वास्तविक के मध्य अंतर*
(1)	(2)	(3)	(4) (3-2)
राजस्व	45,925.01	48,330.68	(+)2,405.67
पूंजीगत	10,758.68	13,693.28	(+)2,934.60
योग	**56,683.69**	**62,023.96**	**(+)5,340.27**

** मूल प्रावधान के सापेक्ष वास्तविक का आधिक्य (+) आंकड़ों के रूप में दर्शाया गया है एवं मूल प्रावधान के सापेक्ष वास्तविक की कमी (-) आंकड़ों के रूप में दर्शाई गई है।*

राजस्व प्रभाग में बजट अनुमान की तुलना में आउटटर्न का अंतर +5.24 प्रतिशत रहा। इसका कारण 18 अनुदानों में मूल प्रावधान से वास्तविक में आधिक्य होना था। तीन अनुदानों में +100 प्रतिशत से अधिक का अंतर था। मूल अनुदान से वास्तविक में कमी वाले अन्य 14 अनुदानों में अंतर -0.58 प्रतिशत से -28.87 प्रतिशत तक था।

पूंजीगत प्रभाग में बजट अनुमान की तुलना में आउटटर्न का अंतर + 27.28 प्रतिशत रहा। इसका कारण 19 अनुदानों में मूल प्रावधान से वास्तविक में आधिक्य होना था। सात अनुदानों में +100 प्रतिशत से अधिक का अंतर था। मूल अनुदान से वास्तविक में कमी वाले 11 अनुदानों में अंतर -21.95 प्रतिशत से -100 प्रतिशत तक था।

व्यय संघटन आउटटर्न

व्यय संघटन आउटटर्न निष्पादन के दौरान मुख्य बजट श्रेणियों के मध्य पुन: आवंटन के व्यय संघटन में हुए अंतर में दिए योगदान की अधिकतम सीमा को मापता है, जैसाकि **तालिका 3.4** में दिया गया है।

तालिका 3.4: व्यय संघटन आउटटर्न

(₹ करोड़ में)

विवरण	मूल अनुमोदित बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक आउटटर्न	संशोधित अनुमान व बजट अनुमान में अंतर	वास्तविक व संशोधित अनुमान में अंतर*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) (3-2)	(6) (4-3)
राजस्व	45,925.01	50,932.71	48,330.68	5,007.70	-2,602.03
पूंजीगत	10,758.68	16,058.58	13,693.28	5,299.90	-2,365.30
योग	**56,683.69**	**66,991.29**	**62,023.96**	**10,307.60**	**-4,967.33**

* *संशोधित अनुमान के सापेक्ष वास्तविक का आधिक्य (+) आंकड़ों के रूप में दर्शाया गया है एवं संशोधित अनुमान के सापेक्ष वास्तविक की कमी (-) आंकड़ों के रूप में दर्शाई गई है।*

राजस्व प्रभाग में संशोधित अनुमान की तुलना में आउटटर्न का अंतर -5.11 प्रतिशत रहा। इसका कारण 29 अनुदानों में संशोधित अनुमानों से वास्तविक में -1.03 प्रतिशत से -32.08 प्रतिशत तक की कमी होना था।

पूंजीगत प्रभाग में संशोधित अनुमान की तुलना में आउटटर्न का अंतर -14.49 प्रतिशत रहा। इसका कारण 20 अनुदानों में संशोधित अनुमानों से वास्तविक में कमी होना था एवं चार अनुदानों में -50 प्रतिशत से अधिक का अंतर था।

3.2 विनियोजन लेखे

विनियोजन लेखे प्रत्येक वित्तीय वर्ष में विभिन्न उद्देश्यों हेतु दत्तमत अनुदानों एवं प्रभारित विनियोजनों की राशि की तुलना में सरकार के व्यय के लेखे होते हैं। ये लेखे मूल बजट प्रावधान, अनुपूरक अनुदान, अभ्यर्पण एवं पुनर्विनियोजन को अलग-अलग करके दर्शाते हैं तथा जो बजट की प्रभारित एवं दत्तमत दोनों मदों के सम्बन्ध में विनियोजन अधिनियम द्वारा प्राधिकृत है, उनकी तुलना में विभिन्न विनिर्दिष्ट सेवाओं पर वास्तविक पूंजी एवं राजस्व व्यय को दर्शाते है। इस प्रकार विनियोजन लेखे, निधियों के उपयोग की समझ, वित्त के प्रबंधन एवं बजटीय प्रावधानों की निगरानी की सुविधा प्रदान करते हैं और इसलिए वित्त लेखाओं के पूरक होते हैं।

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा विनियोजनों की लेखापरीक्षा यह पता लगाने का प्रयास करती है कि क्या वास्तव में विभिन्न अनुदानों के अंतर्गत किया गया व्यय विनियोजन अधिनियम के तहत दिए गए प्राधिकरण के अनुसार है, तथा यह कि संविधान (अनुच्छेद 202) के प्रावधानों के तहत प्रभारित व्यय इसी प्रकार प्रभारित किया गया है। वह ये भी सुनिश्चित करती है कि क्या किया गया व्यय प्रासंगिक कानूनों, नियमों, विनियमों तथा निर्देशों के अनुरूप है।

3.3 बजटीय एवं लेखा प्रक्रिया की सत्यनिष्ठा पर टिप्पणी

3.3.1 विधिक प्राधिकार के बिना किया गया व्यय

संविधान के अनुच्छेद 204 के प्रावधानों के अनुसार पारित कानून द्वारा किए गए विनियोजन के अंतर्गत आहरित धन के अतिरिक्त राज्य की समेकित निधि से कोई भी धन नहीं निकाला जाएगा। इसके अतिरिक्त, राज्य की आकस्मिकता निधि से अग्रिम रूप में, पुनर्विनियोजन, अनुपूरक अनुदान या विनियोजन द्वारा अतिरिक्त निधियां प्राप्त करने के अतिरिक्त, निधियों के प्रावधान के बिना किसी योजना/सेवा पर व्यय नहीं किया जाना चाहिए।

तालिका 3.5 चार अनुदानों वाले सात मामलों में बिना किसी बजट प्रावधान के किए गए व्यय की सारांशित स्थिति दर्शाती है। यह संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन है। राज्य सरकार को ऐसे व्ययों से बचना चाहिए। यदि किन्हीं परिस्थितियों में व्यय अपरिहार्य हो जाता है, तो वित्त विभाग को अनुच्छेद 205 एवं 206 के अंतर्गत प्रावधानों का पालन अवश्य करना चाहिए।

तालिका 3.5: बजट प्रावधान के बिना किए व्यय का सारांश

अनुदान/ विनियोजन	लेखा शीर्ष	व्यय (₹ राशि में)	योजना/ उप शीर्ष के नाम
दत्तमत			
16	2406-02-110-11-C90N	19,61,000	हाथी परियोजना
	2406-02-110-11-S10N	2,17,900	
18	4851-00-101-04-S00N	66,00,00,000	प्रधानमंत्री गतिशक्ति योजना
28	2217-80-192-26-S00N	27,85,00,000	पूंजीगत परिसंपत्तियों हेतु नगरपालिकाओं को अनुदान
32	2202-01-789-13-S10N	40,250	अनुसूचित जाति के छात्रों को प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति
	2202-03-789-04-C00N	27,00,000	अनुसूचित जाति के छात्रों को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति
	2401-00-789-76-S10N	1,33,000	कृषि वानिकी उप-मिशन
योग		**94,35,52,150 या (₹ 94.36 करोड़)**	

स्रोत: विनियोजन लेखे

3.3.2 विनियोजन अधिनियम द्वारा अधिदेशित न किए गए अंतरण (बैंक खातों में)

आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा निधि आहरित कर उसे बैंक खातों में जमा करना हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमवली के नियम 183(v) व नियम 184(1) का उल्लंघन है। इससे दुर्विनियोजन का जोखिम होता है क्योंकि निधियां बिना किसी निगरानी के सरकारी खाते से बाहर रहती है और उनका अनधिकृत उद्देश्यों के लिए दुरुपयोग किया जा सकता है।

राज्य सरकार ने आहरण एवं संवितरण अधिकारी को अंतरित की गई/उसके पास रखी अप्रयुक्त निधियों के संबंध में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई।

3.3.3 व्यय का गलत वर्गीकरण

व्यय एवं प्राप्तियों का गलत वर्गीकरण वित्तीय विवरणों की सत्यनिष्ठा पर गहरा प्रभाव डालता है। राज्य के वित्तीय नियम विनियोजन की प्राथमिक इकाइयों को वर्गीकृत करते हैं। पूंजीगत परिसंपत्तियों एवं अन्य पूंजीगत व्यय के अधिग्रहण का प्रावधान लेने हेतु विशिष्ट वस्तु शीर्ष बनाए गए हैं। पूंजीगत प्रकृति के व्यय की बुकिंग से संबंधित ये वस्तु शीर्ष केवल पूंजीगत मुख्य शीर्षों के अनुरूप होने चाहिए। राजस्व प्रकृति के व्यय का पूंजीगत व्यय में या पूंजीगत प्रकृति के व्यय का राजस्व व्यय में वर्गीकरण राजस्व व्यय की अत्योक्ति/न्यूनोक्ति तथा राजस्व घाटे/अधिशेष में परिणत होता है।

वर्ष 2023-24 के दौरान व्यय के गलत वर्गीकरण का कोई मामला नहीं देखा गया।

3.3.4 अनावश्यक अथवा अपर्याप्त अनुपूरक अनुदान

संविधान के अनुच्छेद 205 के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष के दौरान वर्ष हेतु विनियोजन अधिनियम द्वारा किए गए प्रावधान पर कोई पूरक या अतिरिक्त अनुदान या विनियोजन किया जा सकता है परन्तु चालू वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद नहीं किया जा सकता। जब ऐसे अतिरिक्त व्यय अपरिहार्य हो एवं पुनर्विनियोजन द्वारा व्यय आधिक्य को पूरा करने के लिए अनुदान के भीतर प्रभावी बचत की कोई संभावना न हो, तो संबंधित विभाग के सचिव वित्त विभाग को पूरक या अतिरिक्त अनुदान या विनियोजन का प्रस्ताव देते हैं।

वर्ष 2023-24 के दौरान 12 अनुदानों (राजस्व/पूंजीगत-दत्तमत) के तहत 14 मामले (प्रत्येक मामले में ₹ एक करोड़ या अधिक) पाए गए जहां ₹ 711 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ क्योंकि व्यय मूल प्रावधान **(तालिका 3.6)** के स्तर तक भी नहीं पहुंचा। वहीं 10 मामलों (**तालिका 3.7**) में ₹ 1,318 करोड़ के अनुपूरक अनुदान अपर्याप्त सिद्ध हुए क्योंकि ₹ 1,191 करोड़ के अतिरिक्त व्यय के भुगतान को शेष छोड़ते हुए, यह आवश्यकता की पूर्ति करने हेतु पर्याप्त नहीं थे (**चार्ट 3.3**)।

चार्ट 3.3: अनावश्यक एवं अपर्याप्त अनुपूरक प्रावधान

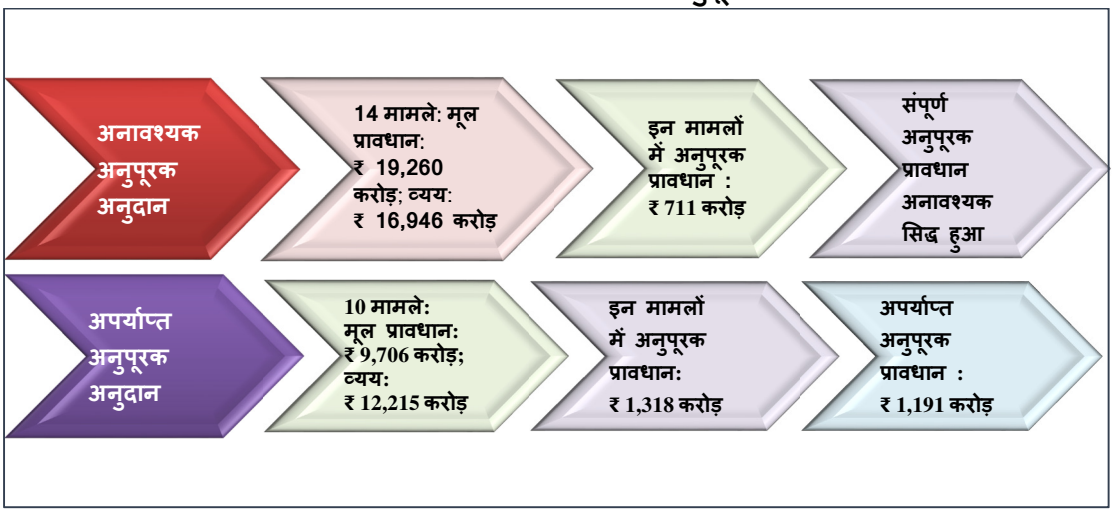

स्रोत: विनियोजन लेखे

तालिका 3.6: उन मामलों का विवरण जहां अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक मामले में ₹ एक करोड़ या अधिक) अनावश्यक सिद्ध हुए

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान का नाम	मूल	अनुपुरक	वास्तविक व्यय	मूल प्रावधानों से बचत
	राजस्व- दत्तमत				
1	04-सामान्य प्रशासन	219.66	12.79	214.24	-5.42
2	06-आबकारी एवं कराधान	113.70	20.07	112.28	-1.42
3	08-शिक्षा	7,866.54	164.06	7,230.03	-636.51
4	11-कृषि	405.88	7.64	326.81	-79.07
5	14-पशु पालन	514.11	6.89	511.12	-2.99
6	16-वन एवं वन्यजीव	746.33	57.36	649.82	-96.51
7	19-सामाजिक न्याय और अधिकारिता	1,712.86	46.27	1,615.10	-97.76
8	20-ग्रामीण विकास	1,438.21	67.94	1,022.95	-415.26
9	22-खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	188.12	36.45	163.43	-24.69
10	26-पर्यटन और नागरिक उड्डयन	29.37	4.60	25.69	-3.68
11	31-जनजातीय विकास	1,823.81	40.24	1,535.42	-288.39
12	32-अनुसूचित जाति उप योजना	2,476.94	219.23	2,386.75	-90.19
	पूंजीगत-दत्तमत				
13	26-पर्यटन और नागरिक उड्डयन	484.44	5.99	274.48	-209.96
14	32-अनुसूचित जाति उप योजना	1,240.21	21.00	878.17	-362.05
योग		**19,260.18**	**710.53**	**16,946.29**	**-2,313.89**

स्रोत: विनियोजन लेखे

यद्यपि राज्य सरकार द्वारा अनुपूरक अनुदान की मांग इस तर्क के आधार पर की गई थी कि संबंधित अनुदानों के तहत विभिन्न योजनाओं में अतिरिक्त व्यय किया जाना था, फिर भी 14 मामलों में अंतिम व्यय मूल प्रावधान से भी कम था, जैसाकि ऊपर दर्शाया गया है।

तालिका 3.7: उन मामलों का विवरण जहां अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक मामले में ₹ एक करोड़ या अधिक) अपर्याप्त सिद्ध हुए

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान का नाम	मूल प्रावधान	अनुपूरक	कुल प्रावधान	वास्तविक व्यय
	राजस्व- दत्तमत				
1.	28-शहरी विकास	503.77	339.08	939.77	96.92
2.	29-वित्त	8,792.89	635.29	10,408.82	980.64
	पूंजीगत- दत्तमत				
3	03- न्याय प्रशासन	10.39	6.37	17.05	0.29
4	04-सामान्य प्रशासन	5.93	35.82	41.77	0.02
5	05-राजस्व	8.00	46.47	143.54	89.07
6	08-शिक्षा	98.73	12.74	113.96	2.49
7	09-स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	95.02	138.89	236.68	2.77
8	23-विद्युत विकास	65.85	40.48	110.98	4.65
9	27-श्रम रोजगार एवं प्रशिक्षण	55.76	27.61	91.57	8.20
10	28-शहरी विकास	69.33	35.47	110.55	5.75
योग		**9,705.67**	**1,318.22**	**12,214.69**	**1,190.80**

उपरोक्त से स्पष्ट है कि ऊपर इंगित 10 मामलों में अनुपूरक प्रावधान अपर्याप्त थे क्योंकि वास्तविक व्यय कुल बजट प्रावधानों (मूल+अनुपूरक) से अधिक था।

उपर्युक्त दोनों प्रकार के मामले (**तालिका 3.6 व 3.7**) दर्शाते हैं कि प्रशासनिक विभाग व्यय की खराब निगरानी के कारण वित्तीय वर्ष की शेष अवधि हेतु धन की वास्तविक आवश्यकता का वास्तविक आकलन/अनुमान नहीं लगा सका।

3.3.5 पूर्व विधायी प्राधिकरण की आवश्यकता वाले पुनर्विनियोजन

'पुनर्विनियोजन' का तात्पर्य है, विनियोजन की एक इकाई से हुई बचत को उसी अनुदान या प्रभारित विनियोजन के भीतर अन्य इकाई के अंतर्गत हुए अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु एक सक्षम प्राधिकारी द्वारा अंतरित करना। सरकार को एक ही अनुदान के भीतर विनियोजन की एक इकाई से दूसरी इकाई में प्रावधानों को पुनर्विनियोजित करने की अनुमति है, इस प्रकार एक मूल प्रावधान के गंतव्य को एक उद्देश्य से दूसरे उद्देश्यार्थ निर्धारित सीमाओं एवं प्रतिबंधों के अधीन बदल दिया जाता है। विधानसभा की सम्मति से एक निश्चित प्रयोजन हेतु किए गए अनुपूरक अनुदानों से किसी भी अन्य प्रयोजनार्थ पुनर्विनियोजन नहीं किया जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जाए कि अनुपूरक अनुदान जिस प्रयोजनार्थ सम्मत किया गया है उसी के लिए प्रयोग किया गया तथा अन्य किसी उद्देश्य हेतु नहीं।

वर्ष 2023-24 के दौरान एक अनुदान से दूसरे अनुदान में या अनुपूरक अनुदान से पुनर्विनियोजन का कोई मामला नहीं पाया गया।

अनुदानों के अंतर्गत अनावश्यक/ अपर्याप्त पुनर्विनियोग के मामलों के विवरण नीचे दिए गए हैं।

3.3.6 अनावश्यक, अनुचित एवं अपर्याप्त पुनर्विनियोजन

किसी अनुदान के भीतर प्रत्याशित बचत वाले विनियोजन की किसी इकाई से अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता वाली दूसरी इकाई में निधियों का अंतरण पुनर्विनियोजन कहलाता है। वर्ष 2023-24 के दौरान ऐसे 123 मामले (**परिशिष्ट 3.3**) थे जहां पुनर्विनियोजन अनावश्यक सिद्ध हुए क्योंकि व्यय बजट प्रावधान के स्तर तक नहीं पहुंच पाया। 14 मामलों में **(परिशिष्ट 3.4)**, उन लेखाओं से अनुचित तरीके से पुनर्विनियोजन किया गया, जहां वास्तविक व्यय आधिक्य में परिणत हुआ। 36 मामलों में **(परिशिष्ट 3.5)** पुनर्विनियोजन अपर्याप्त सिद्ध हुआ क्योंकि पुनर्विनियोजन करने के उपरांत भी वास्तविक व्यय अधिक हुआ। महत्वपूर्ण मामले (₹ 10 करोड़ से अधिक की बचत/अधिक) नीचे दी गई **तालिका 3.8, 3.9** व **3.10** में दर्शाए गए हैं।

तालिका 3.8: अनावश्यक पुनर्विनियोजन के परिणामस्वरूप हुई बचत

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान	लेखा शीर्ष	मूल	अनुपूरक	पुनर्विनियोजन	कुल	वास्तविक	अंतिम बचत
राजस्व-दत्तमत								
1	07-पुलिस एवं संबद्ध संगठन	2055-00-108-05-S00N	335.97	2.58	0.08	338.63	319.34	-19.29
2	08-शिक्षा	2202-01-101-03-S00N	1,663.03	0.00	4.62	1,667.64	1,487.01	-180.63
3		2202-01-113-01-C90N	6.75	131.03	28.13	165.91	36.27	-129.64
4		2202-02-109-01-S00N	2,839.01	0.00	7.87	2,846.88	2,804.56	-42.32
5	9-स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	2210-01-110-03-S00N	300.47	25.64	7.07	333.18	320.93	-12.25
6	10-लोक निर्माण कार्य- सड़कें, पुल व भवन	3054-04-105-19-S00N	187.94	0.00	1.50	189.44	179.20	-10.24
7	11-कृषि	2401-00-108-17-S00N	0.00	0.00	16.48	16.48	0.00	-16.48
8	16-वन एवं वन्यजीव	2406-01-001-02-S00N	369.19	0.00	0.73	369.92	339.62	-30.3
9	19-सामाजिक न्याय और अधिकारिता	2235-02-102-05-S00N	104.71	0.00	0.23	104.94	68.85	-36.09
10	20-ग्रामीण विकास	2515-00-196-08-S00N	14.58	0.00	0.11	14.69	0.02	-14.67
11		2515-00-197-08-S00N	14.58	0.00	0.11	14.69	0.12	-14.57
12		2515-00-198-07-S00N	68.05	0.00	0.51	68.56	0.10	-68.46
13	31-जनजातीय विकास	2406-01-796-02-S00N	5.09	0.08	33.83	39.00	3.38	-35.62
14	32-अनुसूचित जाति उप योजना	2202-01-789-21-C90N	2.58	40.28	23.23	66.09	19.07	-47.02
15		2406-02-789-02-S00N	3.21	0.00	15.11	18.32	2.41	-15.91
पूंजीगत-दत्तमत								
16	13-सिंचाई, जलापूर्ति एवं स्वच्छता	4702-00-101-06-C90N	46.86	50.70	0.32	97.88	47.25	-50.63
17	15-आयोजना एवं पिछड़ा क्षेत्र उप-योजना	5054-04-337-27-S00B	47.19	0.00	6.10	53.29	42.23	-11.06

स्रोत: विनियोजन लेखे

तालिका 3.9: अनुचित पुनर्विनियोजन के परिणामस्वरुप हुआ आधिक्य

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान	लेखा शीर्ष	मूल	अनुपूरक	कुल	पुनर्विनियोजन	वास्तविक	आधिक्य
राजस्व-दत्तमत								
1	29-वित्त	2071-01-104-02-S00N	966.83	0.00	966.83	-66.83	1070.22	103.39
2	31-जनजातीय विकास	3054-04-796-01-S00N	17.60	0.00	17.60	-0.52	137.20	119.60
पूंजीगत-दत्तमत								
3	09-स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	4210-03-105-12-C90N	0.02	0.00	0.02	-0.01	25.63	25.61

स्रोत: विनियोजन लेखे

तालिका 3.10: अपर्याप्त पुनर्विनियोजन के परिणामस्वरुप हुआ आधिक्य

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान	लेखा शीर्ष	मूल	अनुपूरक	पुनर्विनियोजन	कुल	वास्तविक	आधिक्य
राजस्व-दत्तमत								
1	20-ग्रामीण विकास	2216-03-102-07-C90N	10.41	9.20	28.02	47.63	64.36	16.73
2	28-शहरी विकास, नगर एवं ग्राम नियोजन एवं आवास	2217-80-191-51-S00N	1.00	0.00	4.09	5.09	33.05	27.96
3		2217-80-191-54-S00N	0.00	15.70	24.57	40.27	160.06	119.79
4	29-वित्त	2071-01-101-03-S00N	4,967.68	181.80	17.70	5,167.18	5,844.72	677.55
5		2071-01-102-02-S00N	687.04	110.00	53.87	850.91	923.01	72.10
पूंजीगत- दत्तमत								
6	18-उद्योग, खनिज, आपूर्ति और सूचना प्रौद्योगिकी	4851-00-101-04-S00N	0.00	0.00	0.05	0.05	66.00	65.95

स्रोत: विनियोजन लेखे

हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियम 2009 के नियम 44(2) के अनुसार वित्त विभाग के अनुमोदन से निधियों का पुनर्विनियोजन तभी किया जाएं, जब यह ज्ञात या प्रत्याशित हो कि जिस इकाई से निधियां स्थानांतरित की जानी है, उसमें विनियोजन का पूर्ण उपयोग नहीं किया जाएगा या उक्त इकाई के विनियोजन में बचत प्रभावित हो सकती है।

3.3.7 बचत

बजट में हर उस चीज का, जिसे पहले से भांपा जा सके, प्रावधान करना तथा जितना आवश्यक हो उतना ही प्रावधान करना सभी प्राक्कलन अधिकारियों का स्वर्णिम सिद्धांत माना जाना चाहिए। पूर्ण रूप से सटीक अनुमान लगाना हमेशा संभव नहीं होता; परंतु जहां

दूरदर्शिता के अभाव, स्पष्ट अनुमान की उपेक्षा अथवा असावधानी पूर्ण अनुमान के परिणामस्वरूप त्रुटिपूर्ण अथवा गलत अनुमान बनाया जाता है, वहां उपचारात्मक कार्रवाई की आवश्यकता हो सकती है। प्रशासनिक एवं वित्त विभागों को अनुमानों की जांच करते समय, विगत वास्तविकों के प्रमाणित तथा अच्छी तरह से जांचे गए औसत को, साथ ही उन ज्ञात अथवा यथायोग्य पूर्वाभास तथ्यों को जो औसत में संशोधन ला सकते है, कठोरता से लागू करना चाहिए।

जब अभ्यर्पण की आवश्यकता स्वतः प्रकट होती है, नियंत्रण अधिकारियों को अभ्यर्पित की जाने वाली धनराशि का आंकलन सतर्कता से करना चाहिए। जितना हो सके उतना अधिक अभ्यपर्ण करने का लक्ष्य होना चाहिए ताकि व्यय को संशोधित अनुदान के भीतर रखा जा सके।

अवास्तविक प्रस्तावों पर आधारित बजटीय आवंटन, खराब व्यय निगरानी तंत्र, योजना कार्यान्वयन की कमजोर क्षमता/कमजोर आंतरिक नियंत्रण वित्तीय वर्ष के अंत में निधियां जारी करने को बढ़ावा देते हैं तथा बड़ी शेष राशि को सरकारी खाते के बाहर, बैंक खातों में रोके रखने की विभागों की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करते हैं। अत्यधिक बचत अन्य विभागों को भी उन निधियों से वंचित कर देती है जिसका वे उपयोग कर सकते थे।

(i) आबंटन की तुलना में बचत

विनियोजन के विश्लेषण से पता चला कि 62 मामलों में बचत हुई, जैसाकि **परिशिष्ट 3.6** में विवर्णित है। ₹ 66,991 करोड़ के कुल प्रावधानों के प्रति ₹ 4,967.34 करोड़ की सकल बचत हुई, जो ₹ 6,223.14 करोड़ की बचत का निवल परिणाम थी, जो कि विभिन्न अनुदानों में ₹ 1,255.80 करोड़ के व्यय आधिक्य से समायोजित हुई। ₹ 4,967.34 करोड़ की सकल बचत में से 12 अनुदानों से संबंधित 15 मामलों में अधिक मात्रा में बचत (प्रत्येक मामले में ₹ 100 करोड़ व अधिक) पाई गई, जिसका विवरण **तालिका 3.11** में दिया गया है।

तालिका 3.11: 2023-24 के दौरान ₹ 100 करोड़ या उससे अधिक की बचत वाले अनुदानों की सूची

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान संख्या व नाम	मूल प्रावधान	अनुपूरक	वास्तविक	बचत
	राजस्व-दत्तमत				
1	2	3	4	5	6 (5-4-3)
1	05-भू राजस्व एवं जिला प्रशासन	1,447.58	1,742.96	3,069.07	-121.47
2	08-शिक्षा	7,866.54	164.06	7,230.03	-800.57
3	9-स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	2,521.14	193.95	2,527.81	-187.28
4	10-लोक निर्माण कार्य- सड़कें, पुल व भवन	3,307.74	0.00	2,630.08	-677.67
5	16-वन एवं वन्यजीव	746.33	57.36	649.82	-153.87

क्र.सं.	अनुदान संख्या व नाम	मूल प्रावधान	अनुपूरक	वास्तविक	बचत
6	19-सामाजिक न्याय और अधिकारिता	1,712.86	46.27	1,615.10	-144.03
7	20-ग्रामीण विकास	1,438.21	67.94	1,022.95	-483.20
8	31-जनजातीय विकास	1,823.81	40.24	1,535.42	-328.63
9	32-अनुसूचित जाति उप योजना	2,476.94	219.23	2,386.75	-309.42
	पूंजीगत-दत्तमत				
10	10-लोक निर्माण कार्य- सड़कें, पुल व भवन	1,076.46	775.89	1,500.98	-351.37
11	15-योजना एवं पिछड़ा क्षेत्र उप योजना	681.61	0.00	336.41	-345.20
12	26-पर्यटन और नागरिक उड्डयन	484.44	5.99	274.48	-215.95
13	31-जनजातीय विकास	498.14	0.00	309.16	-188.98
14	32-अनुसूचित जाति उप योजना	1,240.21	21.00	878.17	-383.04
	पूंजीगत- प्रभारित				
15	29-वित्त	5,486.64	3,369.98	7,895.87	-960.75

स्रोत: विनियोजन लेखे

लोक निर्माण, शिक्षा, वित्त एवं ग्रामीण विकास विभागों में बड़ी बचत देखी गई।

चार्ट 3.4 अनुदानों/विनियोगों को बजट आवंटन के प्रति बचत के प्रतिशत के अनुसार वर्गीकृत करता है। इस चार्ट से ज्ञात होता है कि वर्ष के दौरान 10 अनुदानों में ₹ 2,953.52 करोड़ (प्रत्येक अनुदान में पांच से 20 प्रतिशत) की बचत हुई।

चार्ट 3.4: प्रत्येक समूह में हुई कुल बचत सहित बचत के प्रतिशत द्वारा समूहबद्ध किए गए अनुदानों/विनियोजनों की संख्या

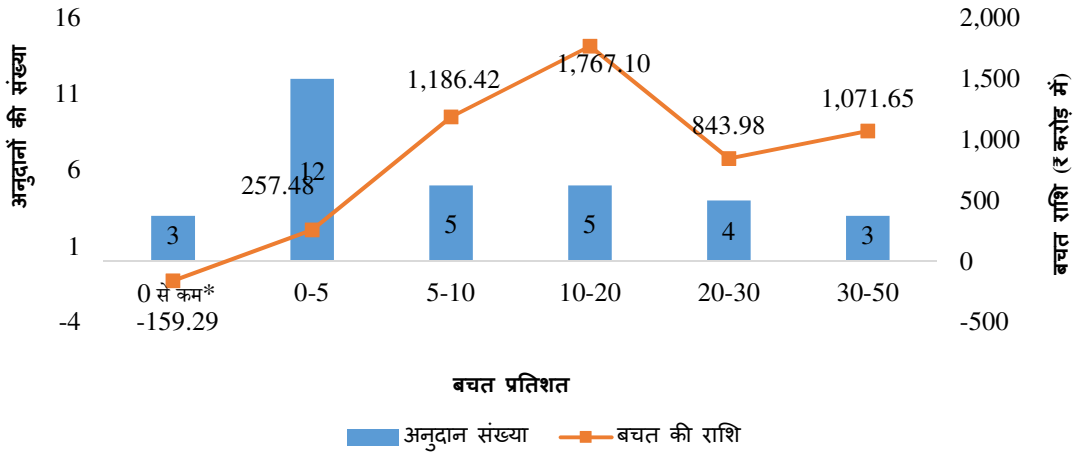

** टिप्पणी: शून्य (0) से कम दिखाई गई राशि आधिक्य को दर्शाती है।*

बचत अपने पास रखने से किसी उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती है अतः आदर्श रूप से इसे समय पर अभ्यर्पित कर देना चाहिए। अतएव जिन विनियोजनों के अव्ययित रहने की संभावना है, इनके अभ्यर्पण हेतु शीघ्रातिशीघ्र सूचित किया जाना चाहिए। बचत का अभ्यर्पण न करने से अन्य व्यय करने वाले विभाग उन निधियों से वंचित रह जाते हैं, जिसका वे उपयोग कर सकते थे तथा इस प्रकार वे विभाग पूरक अनुदानों की मांग से बच सकते थे। अभ्यर्पण आमतौर पर मार्च माह में किए जा रहे हैं तथा किए गए व्यय के आंकड़ों का सावधानीपूर्वक

अध्ययन एवं गत माह के व्यय की प्रगति पर ध्यान देना एक नियंत्रण अधिकारी को उचित सटीकता एवं शुद्धता के साथ अपनी अंतिम आवश्यकताएं तय करने में सक्षम बनाता है।

(ii) निरंतर बचत

विगत पांच वर्षों के दौरान 17 अनुदानों से संबंधित 25 ऐसे मामले (प्रत्येक मामले में ₹ एक करोड़ या अधिक) पाए गए, जहां लगातार बचत हुई (**परिशिष्ट 3.7** में विवरण दिया गया है), जिनमें से सात मामले (प्रत्येक मामले में ₹ 100 करोड़ या अधिक) नीचे **तालिका 3.12** में दर्शाए गए हैं।

तालिका 3.12: निरंतर बचत के मामलों का विवरण (प्रत्येक मामले में ₹ 100 या अधिक)

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान संख्या	अनुदान/विनियोजन का नाम	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
राजस्व-दत्तमत							
1	08	शिक्षा	-1,110.61	-1,362.09	-1,096.43	-121.60	-800.57
2	09	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	-377.72	-489.64	-243.85	-207.53	-187.28
3	10	लोक निर्माण कार्य - सड़क, पुल व भवन	-736.83	-963.02	-1,194.46	-552.77	-677.67
4	20	ग्रामीण विकास	-351.17	-163.47	-134.10	-120.02	-483.20
5	31	जनजातीय विकास	-371.39	-415.69	-403.42	-206.93	-328.64
6	32	अनुसूचित जाति उप योजना	-513.37	-264.69	-141.50	-193.90	-309.43
पूंजीगत-दत्तमत							
7	32	अनुसूचित जाति उप योजना	-231.62	-149.75	-390.46	-321.78	-383.05

स्रोत: विनियोजन लेखे

उपरोक्त अनुदानों में पर्याप्त मात्रा में हुई निरंतर बचत इंगित करती है कि इन विभागों में बजटीय नियंत्रण प्रभावी नहीं थे क्योंकि वे आवंटित धन खर्च करने में असमर्थ रहे। विभागों को खर्च करने की अपनी क्षमता में सुधार करने की आवश्यकता है क्योंकि ये सभी सामाजिक क्षेत्र के विभाग हैं और यहां तक कि धन आवंटित करते समय पिछले वर्षों की प्रवृत्तियों को भी ध्यान में नहीं रखा जा रहा था। पूर्ववर्ती राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में भी इन्हें इंगित किया गया था।

(iii) ₹ 10 करोड़ से अधिक की निधियों के अभ्यर्पण का विवरण

मार्च माह की समाप्ति तक प्रत्येक मामले में ₹ 10 करोड़ से अधिक के अभ्यर्पण के दृष्टांत **तालिका 3.13** में दिए गए हैं।

तालिका 3.13: मार्च 2024 के दौरान ₹ 10 करोड़ से अधिक की निधियों के अभ्यर्पण का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान संख्या	मूल	अनुपुरक	कुल प्रावधान	वास्तविक व्यय	बचत	अभ्यर्पित राशि
राजस्व-दत्तमत							
1	4	219.66	12.79	232.45	214.24	-18.21	-10.48
2	6	113.70	20.07	133.77	112.28	-21.49	-16.28
3	7	1,634.64	56.78	1,691.42	1,636.70	-54.72	-46.79
4	8	7,866.54	164.06	8,030.60	7,230.03	-800.57	-251.41
5	9	2,521.14	193.95	2,715.09	2,527.81	-187.28	-63.62
6	10	3,307.74	0.00	3,307.74	2,630.08	-677.66	-350.67
7	11	405.88	7.64	413.52	326.81	-86.71	-49.81
8	16	746.33	57.36	803.69	649.82	-153.87	-61.69
9	19	1,712.86	46.27	1,759.13	1,615.10	-144.03	-105.04
10	31	1,823.81	40.24	1,864.05	1,535.42	-328.63	-85.34
11	32	2,476.94	219.23	2,696.17	2,386.75	-309.42	-33.43
पूंजीगत-दत्तमत							
12	15	681.61	0.00	681.61	336.41	-345.20	-290.95
13	26	484.44	5.99	490.43	274.48	-215.95	-33.06
14	31	498.14	0.00	498.14	309.16	-188.98	-19.21
15	32	1,240.21	21.00	1,261.21	878.17	-383.04	-265.32
योग		**25,733.64**	**845.38**	**26,579.02**	**22,663.26**	**-3,915.76**	**-1,683.10**

स्रोत: विनियोजन लेखे

जैसाकि उपरोक्त तालिका में दिया है, माह मार्च 2024 में 15 मामलों में कुल ₹ 1,683.10 करोड़ (प्रत्येक मामले में 10 करोड़ या अधिक) का अभ्यर्पण किया गया (कुल आवंटित बजट का 6.54 प्रतिशत)।

हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियम 2009 के नियम 41 के अनुसार बचत सहित वे प्रावधान जिनका लाभप्रद उपयोग नहीं किया जा सकता, उन्हें वर्ष की समाप्ति की प्रतीक्षा किए बिना जब भी अनुमान लगाया जाए, तुरंत सरकार को अभ्यर्पित कर दिया जाए। किसी भी बचत को भविष्य के संभावित आधिक्य हेतु आरक्षित नहीं रखा जाए।

सभी अभ्यर्पण आदेशों की जांच/संवीक्षा के दौरान पाया गया कि अभ्यर्पण आदेश वर्ष के अंतिम दिन (अर्थात् 31 मार्च) को दिए गए। वर्ष के अंत में निधियों का अभ्यर्पण व्यय की निम्नस्तरीय निगरानी, कमजोर वित्तीय नियंत्रण दर्शाता है तथा इसका तात्पर्य है कि निधियों का उपयोग अन्य उद्देश्यों हेतु नहीं किया जा सका।

(iv) उपयोग की प्रतिशतता द्वारा समूहबद्ध किए गए अनुदान/विनियोजनों की संख्या का वितरण

उपयोग की प्रतिशतता द्वारा समूहबद्ध किए गए अनुदानों/विनियोजनों की संख्या के वितरण का विवरण **चार्ट 3.5** में दिया गया है।

चार्ट 3.5: उपयोग के प्रतिशतता द्वारा समूहबद्ध किए गए अनुदानों/विनियोजनों की संख्या का वितरण

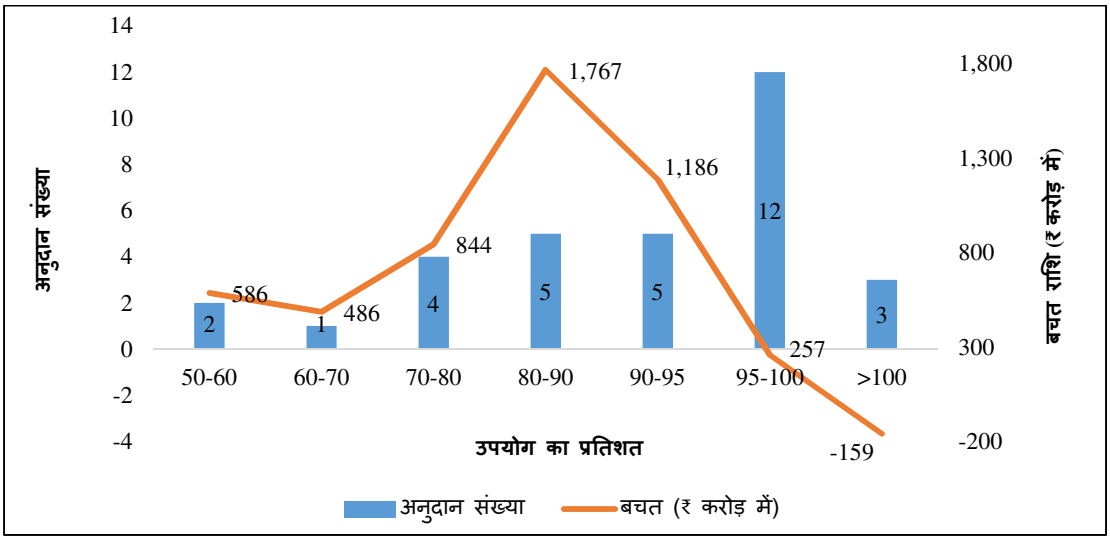

टिप्पणी: शून्य (0) से कम दिखाई गई राशि आधिक्य को दर्शाती है।

दो अनुदानों (अनुदान संख्या 15-योजना एवं पिछड़ा क्षेत्र उप-योजना और 26-पर्यटन व नागरिक उड्डयन) में उपलब्ध निधियों का उपयोग 60 प्रतिशत से कम हुआ, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 585.73 करोड़ की बचत हुई।

तीन अनुदानों (18, 28 व 29) में उपयोग 100 प्रतिशत से अधिक हुआ, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 159.29 करोड़ का आधिक्य हुआ।

चार्ट 3.6: वित्तीय वर्ष 2023-24 की समाप्ति/अंतिम दिन से पूर्व बचत व अभ्यर्पण

(₹ करोड़ में)

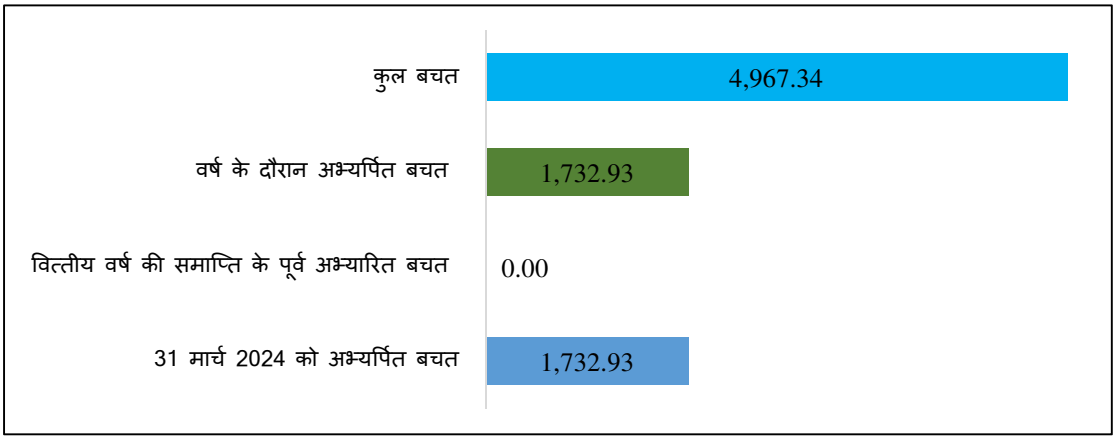

चार्ट 3.6 के विश्लेषण से उजागर हुआ कि बचत का मात्र 35 प्रतिशत अभ्यर्पित किया गया। सभी अभ्यर्पण (₹ 1,732.93 करोड़) 31 मार्च 2024 को किए गए। यह निधियों के कमजोर प्रबंधन का परिचायक है जिसके परिणामस्वरूप वित्तीय संसाधनों का निम्नतर इष्टतम उपयोग हुआ।

3.3.8 व्यय आधिक्य एवं इसका विनियमन

भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 के अनुसार, पारित कानून द्वारा किए गए विनियोजन के तहत आहरित धन के अतिरिक्त राज्य की समेकित निधि से कोई धन नहीं निकाला जाएगा। साथ ही, भारत के संविधान के अनुच्छेद 205 के अनुसार राज्य सरकार को अनुदान/विनियोजनों से अधिक आहरण को राज्य विधायिका से विनियमित करवाना अनिवार्य है। यद्यपि अनुच्छेद के अंतर्गत व्यय के विनियमन हेतु कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है फिर भी लोक लेखा समिति द्वारा विनियोजन लेखाओं पर चर्चा पूर्ण होने के उपरांत व्यय आधिक्य का विनियमन किया जाता है।

3.3.8.1 व्यय आधिक्य

प्रावधान से अधिक व्यय न केवल विधायिका से अपेक्षित संस्वीकृति के प्रावधानों का उल्लंघन है, अपितु यह अकुशल कार्य-योजना का भी परिचायक है। बजटीय परिव्यय के संदर्भ में व्यय की वृद्धि के क्रम पर दृष्टि रखकर इस को टाला जा सकता है। वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु बजट प्रावधान के सापेक्ष व्यय आधिक्य के विवरण **तालिका 3.14** दिए गए हैं।

तालिका 3.14: 2023-24 के दौरान अनुदान/विनियोजन से अधिक संवितरण का सारांश

(₹ में)

क्र. सं.	अनुदान का नाम	दत्तमत		प्रभारित	
		राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
1	03-न्याय प्रशासन	--	29,02,742	--	--
2	04-सामान्य प्रशासन	--	1,56,705	--	--
3	05- भू राजस्व एवं जिला प्रशासन	--	89,07,31,500	--	--
4	08-शिक्षा	--	2,49,33,718	--	--
5	09- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	--	2,76,28,007	--	--
6	13-सिंचाई, जल आपूर्ति व स्वच्छता	--	--	--	344
7	16-वन एवं वन्यजीव	--	--	2,10,000	--
8	18- उद्योग, खनिज, आपूर्ति व सूचना प्रौद्योगिकी	--	64,99,88,786	--	--
9	23- विद्युत विकास	--	4,65,29,000	--	--
10	27- श्रम रोजगार एवं प्रशिक्षण	--	8,20,06,000	--	--
11	28- शहरी विकास, नगर एवं ग्राम नियोजन एवं आवास	96,91,88,399	5,74,28,266	--	--
12	29-वित्त	9,80,63,24,113	--	--	--
कुल		**10,77,55,12,512**	**1,78,23,04,724**	**2,10,000**	**344**
सकल योग		**1255,80,27,580 या ₹ 1,255.80 करोड़**			

स्रोत: विनियोजन लेखे

जैसाकि उपरोक्त से स्पष्ट है वर्ष 2023-24 के दौरान 13 मामलों (12 अनुदान से सम्बंधित) में बजट प्रावधान से ₹ 1,255.80 करोड़ का व्यय आधिक्य हुआ, जिसका राज्य विधायिका से विनियमन अपेक्षित है। मुख्य शीर्ष-वार आधिक्य का विवरण **परिशिष्ट 3.8** में दिया गया है एवं ₹ 50 करोड़ से अधिक वाले मामले **तालिका 3.15** में दिए गए हैं।

तालिका 3.15: 2023-24 के दौरान प्राधिकार से अधिक किए गए मुख्य शीर्ष-वार संवितरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान संख्या	मुख्य शीर्ष	मूल	अनुपूरक	कुल बजट	वास्तविक व्यय	आधिक्य
1	29-वित्त	2071-पेंशन व अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	8,693.78	598.71	9,292.49	10,294.46	1,001.98
2	13- सिंचाई, जल आपूर्ति और स्वच्छता	2215- जल आपूर्ति एवं स्वच्छता	1,822.38	139.90	1,962.28	2,091.32	129.03
3	05- भू राजस्व एवं जिला प्रशासन	4059- लोक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय	8.00	45.27	53.27	142.34	89.07
4	28- शहरी विकास, नगर एवं ग्राम नियोजन एवं आवास	2217- शहरी विकास	485.57	329.08	814.79	884.42	69.62
5	18- उद्योग, खनिज, आपूर्ति व सूचना प्रौद्योगिकी	4851- ग्रामीण एवं लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	5.62	0.00	5.62	70.62	65.00
6	23- विद्युत विकास	6801- विद्युत परियोजनाओं हेतु ऋण	6.52	40.48	47.00	97.33	50.33

स्रोत: विनियोजन लेखे

3.3.8.2 कुछ अनुदानों में निरंतर आधिक्य

वर्ष 2019-20 से 2023-24 तक की पांच वर्ष की अवधि के दौरान किसी भी अनुदान में लगातार आधिक्य का कोई मामला नहीं था।

3.3.8.3 विगत वित्तीय वर्षों के व्यय आधिक्य का विनियमन

लम्बी अवधि तक व्यय आधिक्य का विनियमन न होना कार्यकारिणी पर विधायी नियंत्रण को कमजोर बनाता है।

वर्ष 2014-15 से 2022-23 के दौरान हुआ ₹ 11,262.78 करोड़ का व्यय आधिक्य जनवरी 2025 तक राज्य विधायिका से विनियमित होना शेष था। जिसमें से ₹ 8,818.47 करोड़ का व्यय (वर्ष 2014-15 से 2020-21 की अवधि से संबंधित) राज्य विधायिका ने फरवरी 2025 के दौरान विनियमित कर दिया। इस प्रकार, वर्ष 2021-22 व 2022-23 हेतु ₹ 2,444.31 करोड़ का अतिरिक्त व्यय अभी भी विनियमन के लिए लंबित है।

उपरोक्त के अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान 10 अनुदानों व दो विनियोजनों में ₹ 1,255.80 करोड़ का प्राधिकार से अधिक किया गया व्यय आधिक्य भी विनियमन हेतु अपेक्षित है।

विनियमन हेतु लम्बित व्यय आधिक्य की वर्ष-वार राशि नीचे **तालिका 3.16** में दी गई है:

तालिका 3.16: विगत वर्षों से संबंधित व्यय आधिक्य

वर्ष	अनुदान/ विनियोजन संख्या	अनुदान/विनियोजन संख्या	विनियोजन लेखों में टिप्पणीबद्ध आधिक्य राशि जिसका विनियमन अपेक्षित हैं (आंकडे ₹ में)	विनियमन प्रास्थिति
2014-15	10 अनुदान 6 विनियोजन	1, 2, 6, 11, 12, 13, 18, 19, 23 (राजस्व) 23 (पूंजीगत) व 1, 10, 19, 29 (राजस्व), 29 (पूंजीगत), 31	15,85,69,18,458	राज्य विधायिका द्वारा विनियमित किया गया (फरवरी 2025)
2015-16	7 अनुदान 4 विनियोजन	5, 8, 10, 13, 19, 23, 28 (राजस्व) व 13, 16, 29 (राजस्व) 29 (पूंजीगत)	28,48,43,38,113	
2016-17	5 अनुदान 3 विनियोजन	2, 13 (राजस्व) 3, 10, 23 (पूंजीगत) व 1, 16 (राजस्व) 29 (पूंजीगत)	30,37,60,82,471	
2017-18	2 अनुदान 1 विनियोजन	5, 10 (राजस्व) व 10 (पूंजीगत)	3,86,76,41,211	
2018-19	6 अनुदान 5 विनियोजन	05, 13, 22 (राजस्व), 03, 10, 12 (पूंजीगत) व 07, 20, 25 (राजस्व), 10, 29 (पूंजीगत)	8,21,37,16,840	
2019-20	4 अनुदान 3 विनियोजन	22 (राजस्व), 13, 21, 28 (पूंजीगत) व 05 (राजस्व), 13, 29 (पूंजीगत)	49,91,20,218	
2020-21	3 अनुदान 2 विनियोजन	28 (राजस्व), 10,25 (पूंजीगत) 13 (राजस्व),31 (पूंजीगत)	88,69,12,706	
कुल (2014-15 से 2020-21):			**88,18,47,30,017**	
2021-22	13 अनुदान 2 विनियोजन	05,12,23 (राजस्व), 05,06,07,08,09,17,18,20,23,25, 27,30 (पूंजीगत), 07(राजस्व), 13 (पूंजीगत)	17,82,16,59,142	प्रक्रियाधीन
2022-23	16 अनुदान 2 विनियोजन	14,17,18,22,25,28,29,30 (राजस्व), 5,7,9,12,18,20,21,23,25,27,30 (पूंजीगत), 8 (राजस्व), 13 (पूंजीगत)	6,62,14,42,051	
कुल (2021-22 व 2022-23):			**24,44,31,01,193**	
सकल योग			**1,12,62,78,31,210**	

स्रोत: विनियोजन लेखे

3.3.9 पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु सहायता-अनुदान

भारत सरकार के लेखांकन मानक-2 के अनुसार, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा विशेष रूप से प्राधिकृत मामलों के अतिरिक्त, अनुदानकर्ता द्वारा अनुदेयी को संवितरित सहायता-अनुदान राजस्व व्यय के रूप में वर्गीकृत एवं लेखांकित किए जाएं, भले ही सहायता-अनुदान के रूप में संवितरित निधि अनुदेयी ने जिस भी उद्देश्य से खर्च की हो।

वर्ष 2023-24 के दौरान पूंजीगत संपत्तियों के निर्माणार्थ सहायता-अनुदान के रुप में ₹ 911.06 करोड़ की राशि भारत सरकार के लेखांकन मानक-2 के अनुपालन में सम्पूर्ण राशि राजस्व शीर्ष के तहत बुक की गयी एवं लेखाओं में राजस्व व्यय के अंतर्गत वर्गीकृत की गई।

3.4 बजटीय एवं लेखांकन प्रक्रिया की प्रभावशीलता

3.4.1 बजट प्राक्कलन एवं प्रत्याशित व वास्तविक के मध्य अंतर

कर प्रशासन/अन्य प्राप्तियों व सार्वजनिक व्यय का कुशल प्रबंधन विभिन्न राजकोषीय संकेतकों की प्राप्ति हेतु संतुलन बनाए रखता है। अवास्तविक प्रस्तावों पर आधारित बजटीय आवंटन, खराब व्यय निगरानी तंत्र, कमजोर योजना कार्यान्वयन क्षमता एवं कमजोर आंतरिक नियंत्रण के कारण विभिन्न विकासात्मक आवश्यकताओं के बीच धन का इष्टतम आवंटन नहीं हो पाता। कुछ विभागों में अत्यधिक बचत से अन्य विभाग उन निधियों से वंचित हो जाते हैं, जिसका वे उपयोग कर सकते थे।

वर्ष 2023-24 के दौरान 32 अनुदानों/विनियोजनों के संबंध में मूल एवं अनुपूरक प्रावधान की तुलना में वास्तविक व्यय की सारांशित स्थिति **तालिका 3.17** में दी गई है।

तालिका 3.17: 2023-24 के दौरान बजट (मूल/ अनुपूरक) प्रावधानों की तुलना में वास्तविक व्यय की सारांशित स्थिति

(₹ करोड़ में)

	व्यय की प्रकृति	मूल अनुदान/ विनियोजन	अनुपूरक अनुदान/ विनियोजन	कुल बजट	वास्तविक व्यय	निवल बचत (-)	मार्च में अभ्यर्पण	
							राशि	प्रतिशत
दत्तमत	I. राजस्व	40,281.72	4,850.25	45,131.97	42,591.56	-2,540.41	1,109.27	2.46
	II. पूंजीगत	5,252.34	1,871.46	7,123.80	5,677.51	-1,446.29	617.40	8.67
	III. ऋण व अग्रिम	19.71	43.10	62.81	106.95	44.14	5.96	9.49
	कुल	**45,553.77**	**6,764.81**	**52,318.58**	**48,376.02**	**-3,942.56**	**1,732.63**	**3.31**
प्रभारित	I. राजस्व	5,643.29	157.45	5,800.74	5,739.12	-61.62	0.30	0.01
	II. पूंजीगत	0	15.35	15.35	12.94	-2.41	0	0.00
	III. ऋण व अग्रिम	5,486.64	3,369.98	8,856.62	7,895.87	-960.75	0	0.00
कुल		**11,129.93**	**3,542.78**	**14,672.71**	**13,647.93**	**-1,024.78**	**0.30**	**0.01**
सकल योग		**56,683.70**	**10,307.59**	**66,991.29**	**62,023.95**	**-4,967.34**	**1,732.93**	**2.59**

स्रोत: विनियोजन लेखे

जैसाकि उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है, वर्ष 2023-24 में व्यय का कुल प्रावधान ₹ 66,991.29 करोड़ था। वर्ष के दौरान वास्तविक सकल व्यय ₹ 62,023.95 करोड़ रहा। 31 अनुदानों व 11 विनियोजनों में हुई ₹ 6,223.14 करोड़ की बचत के शुद्ध परिणाम के रूप में ₹ 4,967.34 करोड़ की समग्र बचत हुई, जो 12 अनुदान/विनियोजन में हुए ₹ 1,255.80 करोड़ के आधिक्य से समायोजित हुई। ₹ 4,967.34 करोड़ की निवल बचत में

से मात्र ₹ 1,732.93 करोड़ (35 प्रतिशत) ही अभ्यर्पित किए गए। सभी अभ्यर्पण वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन अर्थात् 31 मार्च 2024 को किए गए।

पांच वर्षों के दौरान बजट उपयोग की प्रास्थिति **चार्ट 3.7** में दी गई है।

चार्ट 3.7: बजट उपयोग की प्रवृत्ति

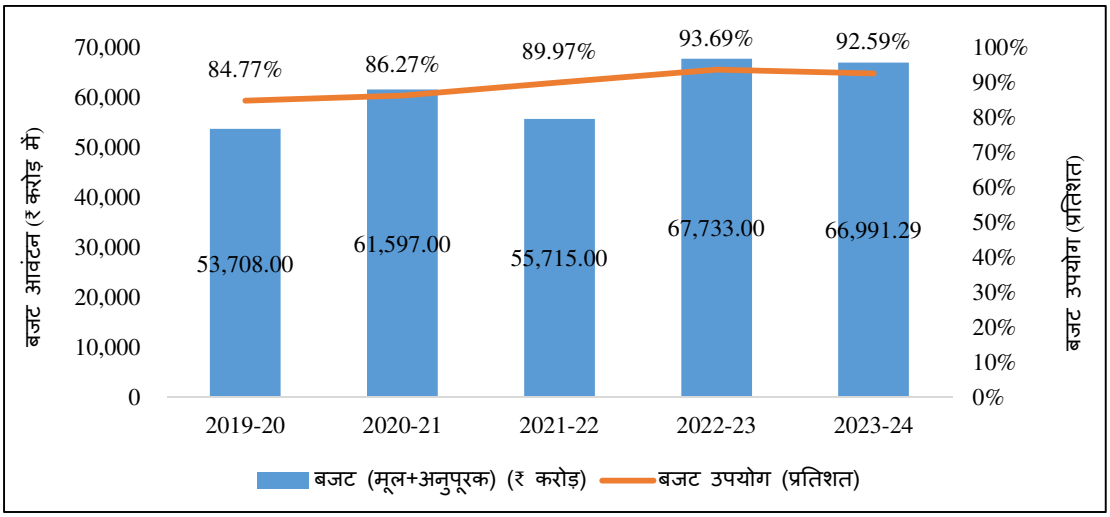

जैसाकि उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है, वर्ष 2019-20 से 2022-23 के दौरान कुल आवंटन के सापेक्ष बजट उपयोग के प्रतिशत में बढ़ती प्रवृत्ति प्रदर्शित हुई जबकि विगत वर्ष की तुलना में वर्ष 2023-24 के दौरान इसमें मामूली गिरावट हुई।

वर्ष 2019-20 से 2023-24 तक की पांच वर्ष की अवधि के दौरान मूल बजट, संशोधित अनुमान व वास्तविक व्यय के विवरण **तालिका 3.18** में दिए गए हैं।

तालिका 3.18: 2019-24 के दौरान मूल बजट, संशोधित अनुमान व वास्तविक व्यय

(₹ करोड़ में)

संघटक	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
मूल बजट	46,971	52,472	53,485	54,592	56,684
अनुपूरक बजट	6,737	9,125	2,230	13,141	10,307
कुल बजट	53,708	61,597	55,715	67,733	66,991
संशोधित अनुमान	49,688	53,460	48,834	62,871	61,625
वास्तविक व्यय	45,528	53,139	50,129	63,463	62,024
बचत (-)/ आधिक्य (+)	-8,180	-8,458	-5,586	-4,270	-4,967
मूल प्रावधान से अनुपूरक का प्रतिशत	14.34	17.39	4.17	24.07	18.18
समग्र प्रावधान से सकल बचत/आधिक्य का प्रतिशत	-15.23	-13.73	-10.03	-6.30	-7.41
कुल बजट-संशोधित अनुमान	4,020	8,137	6,881	4,862	5,366
संशोधित अनुमान-वास्तविक व्यय	4,160	321	-1,295	-592	-399
(कुल बजट-संशोधित अनुमान) कुल बजट के प्रतिशत के रूप में	7.48	13.21	12.35	7.18	8.01
(संशोधित अनुमान-वास्तविक व्यय) कुल बजट के प्रतिशत के रूप में	7.75	0.52	-2.32	-0.87	-0.60

स्रोत: विनियोजन लेखे व संबंधित वर्षों के बजट दस्तावेज

तालिका 3.17 दर्शाती है कि वर्ष 2023-24 के दौरान ₹ 10,307 करोड़ के अनुपूरक प्रावधान मूल प्रावधान का 18.18 प्रतिशत रहे जबकि विगत वर्ष यह 24.07 प्रतिशत थे।

बजट अनुमान, संशोधित अनुमान और उसके सापेक्ष उपयोग की प्रवृत्ति **चार्ट 3.8** में दर्शाई गई है।

चार्ट 3.8: बजट अनुमान, संशोधित अनुमान व वास्तविक को दर्शाती प्रवृत्ति

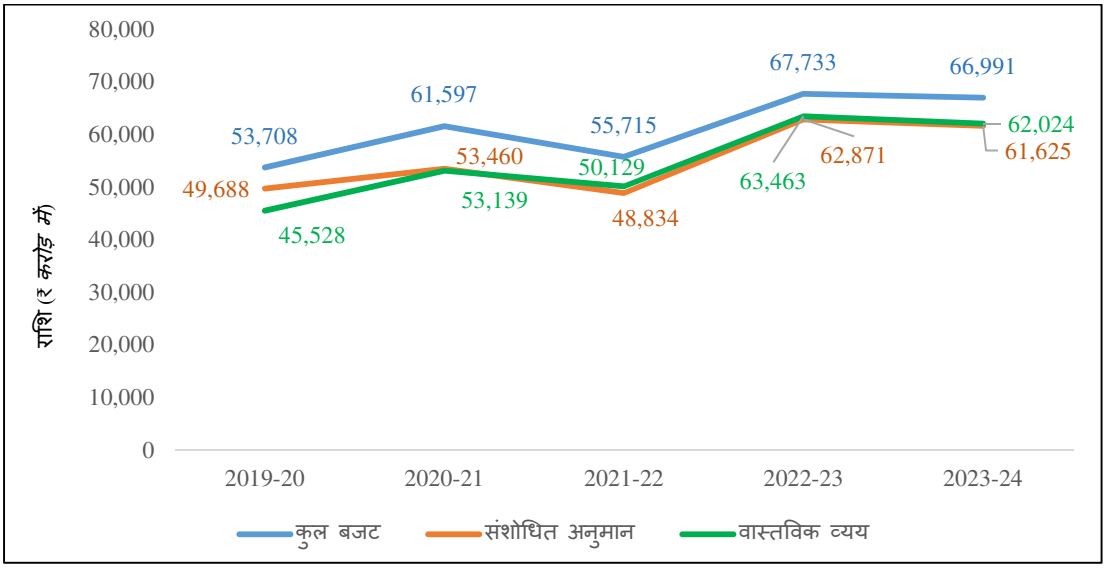

स्रोत: विनियोजन लेखे

उपरोक्त चार्ट से स्पष्ट है कि इन पांच वर्षों (2019-20 से 2023-24) में कुल बजट सदैव संशोधित अनुमान व वास्तविक व्यय से अधिक रहा। वर्ष 2019-20 के अतिरिक्त, संशोधित अनुमान वास्तविक व्यय के करीब रहे।

प्रतिशत के संदर्भ में वर्ष 2019-24 के दौरान संशोधित अनुमान कुल बजट से 7.18 प्रतिशत से 13.21 प्रतिशत कम था। इसके अतिरिक्त वर्ष 2019-20 व 2020-21 के दौरान वास्तविक व्यय का प्रतिशत संशोधित अनुमान से क्रमशः 7.75 प्रतिशत व 0.52 प्रतिशत कम था, जबकि विगत तीन वर्षों (2021-22 से 2023-24) में संशोधित अनुमान वास्तविक व्यय से क्रमशः 2.32 प्रतिशत, 0.87 प्रतिशत व 0.60 प्रतिशत कम था (जैसाकि **तालिका 3.18** में दर्शाया गया है)। इस प्रकार, वर्ष 2019-20 व 2021-22 के दौरान अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुए क्योंकि वास्तविक व्यय मूल बजट प्रावधानों के स्तर तक भी नहीं पहुंचा।

यह परिचायक है कि बजटीय आवंटन अवास्तविक प्रस्तावों पर आधारित थे क्योंकि राज्य के बजट अनुमान हमेशा बढ़े हुए थे तथा वास्तविक व्यय बजटीय प्रावधानों से कम रहा।

3.4.2 अनुपूरक बजट

कभी-कभी अनुपूरक प्रावधान प्राप्त करते समय विभाग विभिन्न योजनाओं/गतिविधियों के अंतर्गत अलग-अलग उद्देश्यों हेतु बड़ी अतिरिक्त मांग की सूचना देता है, परन्तु वे न तो संपूर्ण

अनुपूरक प्रावधान या उसके किसी हिस्से को खर्च कर पाता है एवं न ही मूल बजट प्रावधान को ही खर्च कर पाता है। 'पूंजीगत-दत्तमत' प्रभाग के अंतर्गत अप्रयुक्त निधियों का विवरण **तालिका 3.19** में नीचे दिया गया है।

तालिका 3.19: 'पूंजीगत-दत्तमत' प्रभाग के अंतर्गत अप्रयुक्त निधियों का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान का नाम	मूल आबंटन	अनुपूरक	कुल	वास्तविक व्यय	अप्रयुक्त निधियां
1	01- विधान सभा	3.05	2.62	5.67	5.55	0.12
2	06-आबकारी एवं कराधान	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00
3	07-पुलिस एवं संबद्ध संगठन	57.74	30.74	88.48	79.16	9.32
4	10- लोक निर्माण कार्य- सड़कें, पुल व भवन	1,076.46	775.89	1,852.35	1,500.98	351.37
5	11-कृषि	47.33	0.00	47.33	33.74	13.59
6	12-बागवानी	7.69	7.00	14.69	14.40	0.29
7	13- सिंचाई, जलापूर्ति एवं स्वच्छता	538.05	571.11	1,109.16	1,079.18	29.98
8	14-पशुपालन, डेयरी विकास और मत्स्य पालन	9.62	0.54	10.16	7.51	2.65
9	15-आयोजना एवं पिछड़ा क्षेत्र उप योजना	681.61	0.00	681.61	336.41	345.20
10	16-वन एवं वन्यजीव	13.99	0.00	13.99	2.96	11.03
11	19-सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता	26.23	2.21	28.44	27.02	1.42
12	20-ग्रामीण विकास	12.25	0.00	12.25	9.52	2.73
13	22-खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	0.11	0.00	0.11	0.06	0.05
14	24-प्रिंटिंग व स्टेशनरी	0.30	0.00	0.30	0.00	0.30
15	25-सड़क एवं जल परिवहन	127.35	141.51	268.86	256.47	12.39
16	26-पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन	484.44	5.99	490.43	274.48	215.95
17	29-वित्त	6.68	2.50	9.17	7.32	1.85
18	30-विविध सामान्य सेवाएं	23.40	9.43	32.83	24.74	8.09
19	31-जनजातीय विकास	498.14	0.00	498.14	309.16	188.98
20	32-अनुसूचित जाति उप योजना	1,240.21	21.00	1,261.22	878.17	383.05
योग		**4,856.65**	**1,570.54**	**6,427.19**	**4,846.83**	**1,580.36**

स्रोत: विनियोजन लेखे

3.4.3 बजट की प्रमुख नीतिगत घोषणाएं एवं वास्तविक व्यय

सरकार बजट भाषण एवं अन्य बजट दस्तावेजों के माध्यम से कार्यान्वयन हेतु कई नई नीतियों/योजनाओं की घोषणा करती है, जो या तो उस विशेष वित्तीय वर्ष (एक बार की गतिविधि) या बाद के वित्तीय वर्षों (आवर्ती प्रकृति के) के लिए होती हैं।

वर्ष 2023-24 हेतु बजट में कुछ प्रमुख नीतियों की घोषणा की गई परन्तु उनके सापेक्ष कोई बजट प्रावधान नहीं किया गया। विवरण **तालिका 3.20** में दिया गया है।

तालिका 3.20: 2023-24 के दौरान बजट की प्रमुख नीतिगत घोषणाएं व वास्तविक व्यय

क्र.सं.	योजना के नाम	बजट प्रावधान
1	मुख्यमंत्री विधवा एवं एकल नारी आवास योजना	निरंक
2	मुख्यमंत्री सुरक्षित बचपन अभियान	
3	नशा एवं मादक पदार्थ मुक्त हिमाचल अभियान	
4	हिम गंगा	
5	मुख्यमंत्री लघु दुकानदार कल्याण योजना	

स्रोत: विनियोजन लेखे

3.4.4 योजनाएं एवं कार्यान्वयन सुनिश्चित करने हेतु उनको किया गया वास्तविक वित्तपोषण

योजना के दिशानिर्देशों/तौर-तरीकों को मंजूरी न मिलने, प्रशासनिक स्वीकृति के अभाव में कार्य प्रारंभ न होने, बजट जारी न होने इत्यादि कारणों से सरकार की कई नीतिगत पहल या तो आंशिक रूप से कार्यान्वित की गई हैं या नहीं की गई। इससे लाभार्थी अभीष्ट लाभों से वंचित रह जाते हैं। ऐसी योजनाओं में बचत होने से अन्य विभागों को वह निधियां नहीं मिलती जिसका उपयोग किया जा सकता था।

वर्ष 2023-24 के दौरान 40 ऐसी योजनाएं थीं जहां बजट प्रावधान (₹ एक करोड़ और अधिक) किया गया परन्तु कोई व्यय नहीं हुआ (**परिशिष्ट 3.9** में विवरण दिया गया है)। ऐसी आठ प्रमुख योजनाओं (प्रत्येक मामले में ₹ 10 करोड़ और उससे अधिक का प्रावधान) का विवरण **तालिका 3.21** में दर्शाया गया है।

तालिका 3.21: ऐसी कुछ योजनाओं का विवरण जिनके लिए पर्याप्त प्रावधान (प्रत्येक मामले में ₹ 10 करोड़ और अधिक) किया गया परन्तु कोई व्यय नहीं हुआ

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान संख्या	योजना का नाम	स्वीकृत परिव्यय	अभ्युक्ति
1	20	वित्त आयोग के तहत ग्राम पंचायतों को निष्पादन अनुदान	129.52	वर्ष के दौरान इन योजनाओं पर कोई व्यय नहीं किया गया।
2	20	केंद्रीय वित्त आयोग के तहत जिला परिषदों को टाइड अनुदान	28.24	
3	20	केन्द्रीय वित्त आयोग के तहत पंचायत समितियों को टाइड अनुदान	27.75	
4	19	प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम	20.14	
5	20	केंद्रीय वित्त आयोग के तहत जिला परिषदों को मूल अनुदान	18.82	
6	11	हिम उन्नति	16.48	
7	08	श्रीनिवास रामानुजन छात्र डिजिटल योजना	16.45	
8	29	अटल पेंशन योजना	15.00	

स्रोत: विनियोजन लेखे

स्वीकृत योजनाओं पर निधियों की अप्रयुक्ति दर्शाती है कि राज्य सरकार के विभागों ने या तो ऐसी योजनाएं प्रारंभ करने के लिए पर्याप्त योजना नहीं बनाई थी अथवा उनके कार्यान्वयन की

क्षमता नहीं थी। योजना कार्यान्वयन की कमजोर क्षमताओं के कारण सरकारी खाते से इतर नकद शेष को बैंक खातों में रखने या वर्ष के अंत में निधियां अभ्यर्पित करने की प्रवृत्ति विभागों में बढ़ जाती है, जिससे अन्य विभाग उन निधियों से वंचित रह जाते है जिसका उपयोग किया जा सकता था।

3.4.5 व्यय का तीव्र प्रवाह

सरकारी निधियां सम्पूर्ण वर्ष के दौरान एक समान रूप से खर्च की जानी चाहिए। व्यय की गति स्थिर बनाए रखना, सुदृढ़ सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण घटक है, क्योंकि यह राजकोषीय असंतुलन एवं अप्रत्याशित भारी व्यय से उत्पन्न अस्थाई नकदी संकट को टालता है।

चरणबद्ध ढंग से व्यय विनियमित करने के उद्देश्य के साथ राज्य सरकार ने वर्ष के दौरान हुए व्यय हेतु तिमाही-वार प्रतिशतता (प्रथम तिमाही-20 प्रतिशत; द्वितीय तिमाही- 25 प्रतिशत; तृतीय तिमाही-30 प्रतिशत; चतुर्थ तिमाही- 25 प्रतिशत) निर्धारित की (सितम्बर 1995)।

संवीक्षा में वर्ष 2023-24 के दौरान 19 मुख्य शीर्षों के तहत 25 प्रतिशत लक्ष्य के प्रति अंतिम तिमाही में 50 प्रतिशत से अधिक का व्यय होना पाया गया। चार मामलों में केवल मार्च माह में ही कुल व्यय के 50 प्रतिशत से अधिक का व्यय किया गया। विवरण **परिशिष्ट 3.10** में दिए गए हैं।

यह भी पाया गया कि मुख्य शीर्ष- 2801 (विद्युत) के अंतर्गत ₹ 1,148.23 करोड़ के कुल व्यय में से ₹ 721.71 करोड़ (62.85 प्रतिशत) विगत तिमाही में व्यय किए गए जबकि ₹ 235.40 करोड़ (21 प्रतिशत) मार्च 2024 में व्यय किए गए। वर्ष 2023-24 के दौरान मुख्य शीर्ष 2801-विद्युत के तहत हुआ माह-वार व्यय **चार्ट 3.9** में दर्शाया गया है।

चार्ट 3.9: 2023-24 के दौरान "2801-विद्युत" के तहत माहवार व्यय

(₹ करोड़ में)

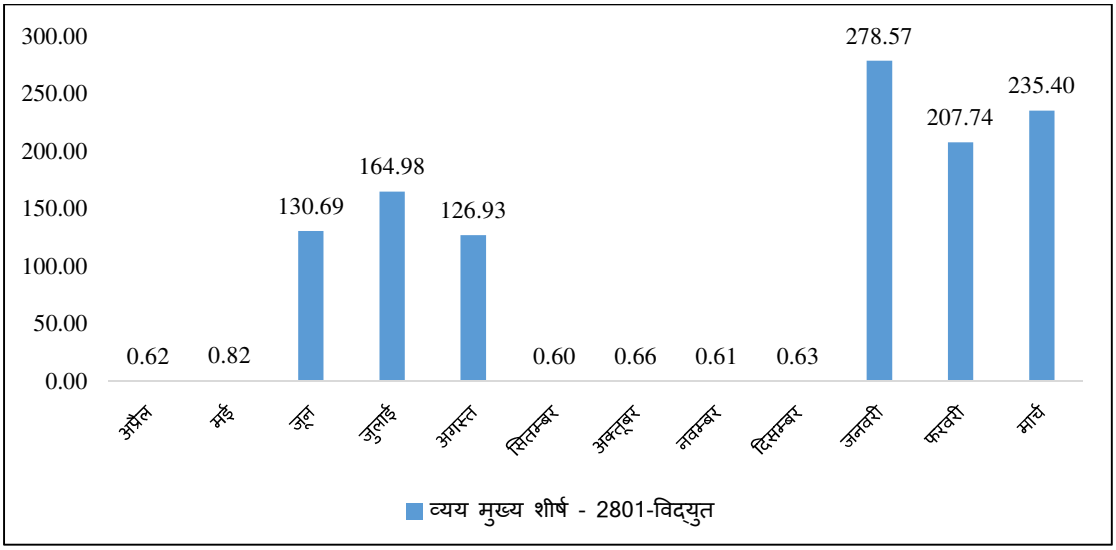

अंतिम तिमाही के दौरान विशेषकर मार्च माह में व्यय का तीव्र प्रवाह वित्तीय नियमों का पालन न करने का परिचायक है। सरकारी निधियां पूरे वर्ष समान रूप से व्यय की जानी चाहिए। व्यय की स्थिर गति बनाए रखना सुदृढ़ सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण घटक है, क्योंकि यह अप्रत्याशित भारी व्यय से उत्पन्न होने वाले राजकोषीय असंतुलन एवं अस्थायी नकदी संकट को टालता है। सभी अनुदानों पर हुए व्यय का त्रैमासिक विवरण **परिशिष्ट 3.11** में दर्शाया गया है।

इस परिशिष्ट से स्पष्ट है कि 28 अनुदानों के मामले में वर्ष के दौरान त्रैमासिक व्यय सीमा का अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जा सका। अंतिम तिमाही में जहां 40 प्रतिशत से अधिक व्यय हुआ, उन अनुदानों का विवरण **तालिका 3.22** में दर्शाया गया है:

तालिका 3.22: 2023-24 के दौरान अंतिम तिमाही में 40 से अधिक के व्यय वाले अनुदानों के विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	2023-24 के दौरान आवंटन	व्यय					2023-24 के दौरान कुल व्यय	कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में चतुर्थ तिमाही में हुआ व्यय	कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में मार्च 2024 में हुआ व्यय
			प्रथम तिमाही	द्वितीय तिमाही	तृतीय तिमाही	चतुर्थ तिमाही	मार्च में			
1	10 लोक निर्माण कार्य - सड़क, पुल व भवन	5,163.41	579.62	924.52	926.98	1,700.77	1,063.56	4,131.88	41.16	25.74
2	13 सिंचाई, जलापूर्ति एवं स्वच्छता	3,867.63	731.69	645.95	706.52	1,725.07	1,101.32	3,809.24	45.29	28.91
3	23 विद्युत विकास	917.74	88.61	228.37	4.86	553.69	156.66	875.54	63.24	17.89
4	26 पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन	524.40	34.55	19.32	27.22	219.08	198.86	300.17	72.99	66.25
5	28 शहरी विकास, नगर एवं ग्राम नियोजन एवं आवास	948.03	128.23	372.51	68.25	481.69	304.15	1,050.69	45.84	28.95

अंतिम तिमाही, मुख्यतः मार्च माह के दौरान व्यय का तीव्र प्रवाह वित्तीय नियमों की अवमानना को दर्शाता है। राज्य सरकार वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही/ माह में व्यय के तीव्र प्रवाह से बचने के लिए उपयुक्त तंत्र सृजित करें।

3.5 चयनित अनुदानों की समीक्षा

वर्ष 2023-24 के लिए दो अनुदानों अर्थात् अनुदान संख्या 08- 'शिक्षा' एवं अनुदान संख्या 20- 'ग्रामीण विकास' के संबंध में बजटीय प्रक्रिया व व्यय पर नियंत्रण की समीक्षा से निम्नलिखित उजागर हुआ:

3.5.1 अनुदान संख्या 08 - शिक्षा

यह अनुदान शिक्षा विभाग द्वारा प्रशासित होता है तथा इसमें मुख्य शीर्ष: 2059-लोक निर्माण, 2202-सामान्य शिक्षा, 2216-आवास, 4202-शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय शामिल हैं।

(i) बजट एवं व्यय

वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2023-24 के दौरान अनुदान संख्या 08 के अंतर्गत आवंटित निधियों एवं किए गए व्यय की समग्र स्थिति, **तालिका 3.23** में विवर्णित है।

तालिका 3.23: बजट प्रावधान, व्यय, आधिक्य/बचत

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रभाग	बजट		व्यय		बचत (-)/आधिक्य (+)	
		दत्तमत	प्रभारित	दत्तमत	प्रभारित	दत्तमत	प्रभारित
2021-22	राजस्व	7,087.45	0.10	5,991.02	0.10	-1,096.43	0
	पूंजीगत	224.69	0.13	239.73	0.13	15.04	0
2022-23	राजस्व	7,891.90	0.23	7,770.30	0.43	-121.60	0.20
	पूंजीगत	164.40	0	163.79	0	-0.62	0
2023-24	राजस्व	8,030.60	2.69	7,230.03	2.69	-800.57	0.0
	पूंजीगत	111.47	0	113.96	0	2.49	0

स्रोत: विनियोजन लेखे

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि वर्ष 2023-24 में राजस्व-दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत ₹ 800.57 करोड़ की भारी बचत हुई तथा पूंजीगत-दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत ₹ 2.49 करोड़ का आधिक्य हुआ।

(ii) अनावश्यक पुनर्विनियोजन

वर्ष 2023-24 के दौरान 8 मामलों में **(तालिका 3.24)** पुनर्विनियोजन अनावश्यक सिद्ध हुआ, क्योंकि व्यय बजट प्रावधान के स्तर तक नहीं पहुंचा।

तालिका 3.24: अनावश्यक पुनर्विनियोजन सिद्ध हुए मामलों का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	लेखा शीर्ष	बजट	पुनर्विनियोजन	वास्तविक व्यय	आधिक्य
1	2202-01-101-03-S00N	1,663.03	4.62	1,487.01	-180.64
2	2202-01-104-01-S00N	21.05	0.17	19.12	-2.10
3	2202-01-104-02-S00N	73.44	0.71	71.09	-3.05
4	2202-01-107-04-S00N	24.99	0.89	21.96	-3.92
5	2202-01-112-01-C90N	82.23	5.01	79.58	-7.67
6	2202-01-113-01-C90N	137.78	28.13	36.27	-129.64
7	2202-02-001-01-S00N	22.34	0.22	21.84	-0.72
8	2202-02-109-01-S00N	2,839.01	7.87	2,804.56	-42.32

किसी अनुदान के भीतर प्रत्याशित बचत वाले विनियोजन की किसी इकाई से अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता वाली दूसरी इकाई में निधियों का अंतरण पुनर्विनियोजन कहलाता है। वे मामले जहां पुनर्विनियोजन अपर्याप्त सिद्ध हुए वहां अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु कई शीर्षों में हुई बचतों को पुनः विनियोजित किया जा सकता था।

(iii) केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत हुई बचत

अभिलेखों की संवीक्षा से उजागर हुआ कि प्राथमिक शिक्षा विभाग द्वारा राज्य में चार केंद्र प्रायोजित योजनाएं यथा (i) मध्याह्न भोजन, (ii) न्यू इंडिया साक्षरता कार्यक्रम, (iii) समग्र शिक्षा अभियान, एवं (iv) राज्यों के लिए शिक्षण अधिगम व परिणाम सुदृढ़ीकरण इत्यादि कार्यान्वित की जा रही हैं। इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य, छात्रों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना और उनके सीखने के परिणामों को सुधारना; प्रारंभिक शिक्षा को मजबूत करना, शिक्षण मूल्यांकन प्रणालियां, शिक्षक प्रदर्शन और कक्षा प्रथाओं को सुदृढ़ करना, स्कूल से कार्यस्थल तक अवस्थांतरण एवं सेवाओं के बेहतर वितरण हेतु शासन व विकेंद्रीकृत प्रबंधन को सशक्त बनाना, शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों को बढ़ावा देना, कक्षाओं में प्रभावी शिक्षण विधियों को लागू करना तथा समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देना है। इन योजनाओं के अंतर्गत आवंटित कुल बजट ₹ 668.15 करोड़ था, जिसमें से मात्र 53 प्रतिशत बजट का ही उपयोग किया गया। विवरण **तालिका 3.25** में दिया गया है।

तालिका 3.25: केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत हुई बचत का विवरण

(₹ करोड़ में)

योजना	लेखा शीर्ष	मूल बजट	अनुपूरक	पुनर्विनियोजन	कुल	व्यय	बचत
मध्याह्न भोजन	2202-01-112-01	139.35	0.00	7.67	147.02	120.50	26.52
न्यू इंडिया साक्षरता कार्यक्रम	2202-01-105-01	0.02	0.00	1.42	1.44	0.36	1.08
समग्र शिक्षा अभियान	2202-01-113-02	334.59	0.00	0.00	334.59	193.50	141.09
राज्यों के लिए शिक्षण अधिगम व परिणाम सुदृढ़ीकरण (स्टार)	2202-01-113-01	6.76	150.21	28.13	185.10	40.30	144.80
योग		**480.72**	**150.21**	**37.22**	**668.15**	**354.66**	**313.49**

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि इन योजनाओं के अंतर्गत भारी बचत गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के प्रति राज्य सरकार/विभाग की असंवेदनशीलता को दर्शाती है। तथ्यों व आंकड़ों की पुष्टि करते हुए विभाग ने बताया कि इन योजनाओं के अंतर्गत हुई बचत भारत सरकार द्वारा निधियां जारी न करने के कारण हुई। विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि बजट प्रावधान उपलब्ध होने पर भी व्यय नहीं किया गया। इससे लाभार्थी अपेक्षित लाभ से वंचित रह जाते हैं।

ऐसी योजनाओं में बचत से अन्य विभाग उन निधियों से वंचित रह जाते हैं जिसका उपयोग किया जा सकता था।

(iv) संपूर्ण बजट प्रावधान की अप्रयुक्ति

अभिलेखों की संवीक्षा से उजागर हुआ कि वर्ष 2023-24 के दौरान छः योजनाओं के अंतर्गत कुल ₹ 31.85 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया परन्तु विभाग ने कोई व्यय नहीं किया। विवरण **तालिका 3.26** में दिया गया है।

तालिका 3.26: प्रावधान किया गया परन्तु कोई व्यय न होने वाली कुछ योजनाओं का विवरण

क्र. सं.	लेखा शीर्ष	योजना	बजट प्रावधान (₹ करोड़ में)	व्यय
1	2202-02-109-38-S00N	राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल	9.74	वर्ष के दौरान इन योजनाओं पर कोई व्यय नहीं किया गया।
2	2202-02-107-03-S10N	ओबीसी व अन्य पोस्ट मैट्रिक हेतु वाइब्रेंट इंडिया के लिए प्रधानमंत्री यंग अचीवर छात्रवृत्ति पुरस्कार योजना	0.66	
3	2202-02-109-15-S00N	श्रीनिवास रामानुजन छात्र डिजिटल योजना	16.45	
4	2202-80-107-18-S00N	कल्पना चावला छात्रवृति योजना	2.47	
5	2202-02-109-30-S00N	खेल से स्वास्थ्य योजना	1.82	
6	2202-02-109-21-S00N	मुख्यमंत्री ज्ञानदीप योजना	0.71	
योग			**31.85**	

स्वीकृत योजनाओं पर निधियों का उपयोग न करना परिलक्षित करता है कि राज्य सरकार के विभागों ने या तो ऐसी योजनाओं को शुरू करने के लिए पर्याप्त योजना नहीं बनाई थी या उनके पास उनके कार्यान्वयन की क्षमता नहीं थी।

प्रत्युत्तर में निदेशक, उच्च शिक्षा, शिमला ने बताया कि इन बिलों को कोषागार द्वारा पारित न करने से विभाग इन योजनाओं को कार्यान्वित नहीं कर सका। इसके अतिरिक्त चालू वित्त वर्ष के दौरान पूर्ववर्ती वर्षों की देयताओं की पूर्ति भी इन निधियों से की गई। विभाग का उत्तर संतोषप्रद नहीं था, क्योंकि विभाग ने कोषागार द्वारा बिल पारित न करने के साक्ष्य के रूप में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया।

(v) बजट प्रावधान से ऊपर व अधिक व्यय आधिक्य

हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियमावली, 2009 के नियम 37 (3) के अनुसार अनुपूरक अनुदान या विनियोजन या आकस्मिकता निधि से अग्रिम प्राप्त करने के अतिरिक्त ऐसा कोई व्यय नहीं किया जाएगा जिसका प्रभाव किसी वित्तीय वर्ष में राज्य विधायिका द्वारा विधिपूर्वक अधिकृत कुल अनुदान या विनियोजन से अधिक हो।

विभाग के अभिलेखों की नमूना-जांच के दौरान पाया गया कि वर्ष 2023-24 के दौरान ₹ 22.89 करोड़ के कुल प्रावधान के प्रति शीर्ष 4202-01-202-01 के तहत ₹ 44.86 करोड़

व्यय किया गया, जो अनुमोदित बजट प्रावधान से ₹ 21.97 करोड़ के व्यय आधिक्य में परिणत हुआ।

प्रत्युत्तर में निदेशक, उच्च शिक्षा, शिमला ने बताया कि सरकार से ₹ 33.90 करोड़ की अतिरिक्त निधि प्राप्त हुई थी, जिसे कोषागार से आहरित किया गया था परन्तु वित्त विभाग ने आधिक्य व अभ्यर्पण विवरणी, साथ ही पुनर्विनियोजन आदेश में इसका उल्लेख नहीं किया। उत्तर संतोषप्रद नहीं है क्योंकि इसे अनुपूरक अनुदान या पुनर्विनियोजन आदेश में लिया जाना चाहिए था।

(vi) आधिक्य एवं अभ्यर्पण विवरणी के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब

हिमाचल प्रदेश बजट नियमावली के अनुसार विभागाध्यक्ष को बजट अनुमान एवं आधिक्य व अभ्यर्पण की विवरणी क्रमशः 1 अक्टूबर व 15 जनवरी अथवा वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पूर्व वित्त विभाग को प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

इसके अतिरिक्त, वित्त विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार ने आधिक्य व अभ्यर्पण विवरणी प्रस्तुत करने की तिथियां निर्धारित करते हुए निर्देश जारी किए (9 अगस्त 2023), जो थे- आधिक्य व अभ्यर्पण की प्रथम विवरणी 31.10.2023 को, आधिक्य व अभ्यर्पण की द्वितीय विवरणी 31.12.2023 को तथा आधिक्य व अभ्यर्पण की तृतीय विवरणी 15.03.2024 से पूर्व वित्त विभाग को प्रस्तुत की जाएं।

वर्ष 2023-24 की आधिक्य व अभ्यर्पण की विवरणियों की संवीक्षा से उजागर हुआ कि उच्च शिक्षा विभाग ने वित्त विभाग को आधिक्य व अभ्यर्पण की प्रथम व द्वितीय विवरणी क्रमशः 15 दिन और 5 दिन के विलम्ब से 15 नवंबर 2023 एवं 5 जनवरी 2024 को प्रस्तुत की।

उच्च शिक्षा निदेशालय, शिमला ने उत्तर में बताया कि क्षेत्रीय कार्यालयों से आंकड़े प्राप्त होने तथा मुख्यालय स्तर पर उनके समेकन में देरी के कारण बजट अनुमान व रिटर्न प्रस्तुत करने में विलम्ब हुआ। उत्तर संतोषप्रद नहीं है, क्योंकि वित्त विभाग द्वारा जारी निर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन किया जाना है तथा विभाग को अपने क्षेत्रीय/फील्ड कार्यालयों को समय-सीमा का पालन करने का निर्देश देना चाहिए था।

3.5.2 अनुदान संख्या 20 - ग्रामीण विकास

यह अनुदान ग्रामीण विकास विभाग द्वारा प्रशासित होता है तथा इसमें मुख्य शीर्ष: 2216- आवास, 2230- श्रम रोजगार और कौशल विकास, 2501- ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम, 2505- ग्रामीण रोजगार, 2515- अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम एवं 4515- अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय शामिल हैं।

(i) बजट एवं व्यय

वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2023-24 के दौरान अनुदान संख्या 20 के अंतर्गत आवंटित निधियों एवं उसके प्रति हुए व्यय की समग्र स्थिति **तालिका 3.27** में विवर्णित है।

तालिका 3.27: बजट प्रावधान, व्यय, आधिक्य/बचत

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रभाग	बजट		व्यय		बचत (-)/ व्यय (+)	
		दत्तमत	प्रभारित	दत्तमत	प्रभारित	दत्तमत	प्रभारित
2021-22	राजस्व	1,229.11	0.07	1,095.01	0.07	-134.10	0
	पूंजीगत	14.01	0	18.85	0	4.84	0
2022-23	राजस्व	1,771.88	0.06	1,651,86	0.06	-120.02	0
	पूंजीगत	15.16	0	15.51	0	0.35	0
2023-24	राजस्व	1,506.15	0	1,022.95	0	-483.20	0.00
	पूंजीगत	12.25	0	9.52	0	-2.73	0

स्रोत: विनियोजन लेखे

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि वर्ष 2021-22 से 2023-24 तक राजस्व प्रभाग में सात प्रतिशत से 32 प्रतिशत तक लगातार बचत हुई।

(ii) संपूर्ण बजट प्रावधान की अप्रयुक्ति

अभिलेखों की संवीक्षा से उजागर हुआ कि वर्ष 2023-24 के दौरान आठ मामलों में कुल ₹ 246.45 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया परन्तु विभाग द्वारा कोई व्यय नहीं किया गया। विवरण **तालिका 3.28** में दिया गया है।

तालिका 3.28: प्रावधान किया गया परन्तु कोई व्यय न होने वाली कुछ योजनाओं का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	लेखा शीर्ष	मूल	अनुपूरक	पुनर्विनियोजन	व्यय
1	2501-06-101-08-C90N	3.29	0.00	-3.29	वर्ष के दौरान कोई व्यय नहीं किया गया।
2	2501-06-800-09-S00N	2.63	0.00	0.00	
3	2505-01-702-06-S00N	32.90	0.00	-32.90	
4	2515-00-102-24-S00N	3.30	0.00	-3.30	
5	2515-00-196-06-S00N	18.82	0.00	0.00	
6	2515-00-196-07-S00N	28.24	0.00	0.00	
7	2515-00-197-07-S00N	27.75	0.00	0.00	
8	2515-00-198-06-S00N	129.52	0.00	0.00	
योग		**246.45**	**0**	**-39.49**	

स्वीकृत योजनाओं पर निधियों का उपयोग न करना परिलक्षित करता है कि राज्य सरकार के विभागों ने या तो ऐसी योजनाओं को शुरू करने के लिए पर्याप्त योजना नहीं बनाई थी या उनके पास उनके कार्यान्वयन की क्षमता नहीं थी।

विभाग ने उत्तर में बताया कि विभिन्न संवर्गों में रिक्त पदों, बकाया महंगाई भत्ते, संशोधित वेतन जारी न होने एवं राज्य सरकार द्वारा निधियां जारी न करने के कारण निधियां अप्रयुक्त रही।

(iii) केंद्र प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत बजट में कटौती

अभिलेखों की संवीक्षा से उजागर हुआ कि वर्ष 2023-24 के दौरान तीन योजनाओं में ₹ 132.84 करोड़ के मूल बजट प्रावधान को पुनर्विनियोजन द्वारा घटाकर ₹ 51.63 करोड़ कर देने के बावजूद ₹ 12.09 करोड़ की बचत हुई। यह इंगित करता है कि विभाग ने या तो यथार्थवादी बजट प्रावधान नहीं किए या केन्द्र प्रायोजित योजनाओं की राशि निर्धारित प्रक्रिया/नियम के अनुसार संवितरित/अभ्यर्पित नहीं की। इन योजनाओं का विवरण **तालिका 3.29** में दिया गया है।

तालिका 3.29: केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत बजट

(₹ करोड़ में)

योजना का नाम	लेखा शीर्ष	मूल बजट	पुनर्विनियोजन	कुल	व्यय	बचत
दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना	2501-06-101-07-C90N	45.52	-28.02	17.50	13.16	-4.34
	2501-06-101-07-S10N	5.06	-3.34	1.72	0.03	-1.69
श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन	2501-06-101-08-C90N	3.29	-3.29	0.00	0.00	0.00
स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)	2515-00-102-23-C90N	78.97	-46.56	32.41	26.35	-6.06
योग		**132.84**	**81.21**	**51.63**	**39.54**	**12.09**

प्रत्युत्तर में विभाग ने तथ्यों व आंकड़ों की पुष्टि करते हुए बताया कि वार्षिक कार्य योजना की मसौदा प्रक्रिया के दौरान गत वर्ष के अधूरे रह गए लक्ष्यों को समाहित करने पर काफी जोर दिया गया था। हालांकि वर्ष 2023-24 के सभी अप्राप्त लक्ष्यों को आगामी वर्ष में लेते हुए पूर्ण कर लिया जाएगा।

(iv) बजट प्रावधान से ऊपर व अधिक व्यय आधिक्य

बजट प्रावधान के प्रति व्यय आधिक्य न केवल विधायी अनुमोदन की आवश्यकता वाले प्रावधानों का उल्लंघन है अपितु निम्नस्तरीय नियोजन को भी इंगित करता है। बजटीय परिव्यय के संदर्भ में व्यय प्रगति पर नज़र रखकर इसे टाला जा सकता है। वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु बजट प्रावधान से हुए व्यय आधिक्य का विवरण **तालिका 3.30** में दिया गया है।

तालिका 3.30: बजट प्रावधान के प्रति व्यय आधिक्य का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	लेखा शीर्ष	मूल प्रावधान	अनुपूरक	पुनर्विनियोजन	कुल बजट प्रावधान	वास्तविक व्यय	आधिक्य
1	2216-03-102-07-C90N	10.41	9.20	28.02	47.63	64.36	16.73
2	2216-03-102-07-S10N	0.71	1.24	3.34	5.29	7.15	1.86
3	2501-06-101-05-C90N	27.64	0.00	0.00	27.64	28.14	0.50
4	2501-06-101-05-S10N	1.97	0.37	0.00	2.34	3.13	0.79
5	2505-02-101-01-S25N	59.23	0.00	0.00	59.23	81.21	21.98
6	2515-00-102-23-S10N	0.12	1.38	0.70	2.20	2.93	0.73
7	4515-00-103-02-S00N	0.40	0.00	0.00	0.40	0.70	0.30
योग		**100.48**	**12.19**	**32.06**	**144.73**	**187.62**	**42.89**

अभिलेखों की संवीक्षा से उजागर हुआ कि विभाग ने सात मामलों में बजट प्रावधान से ₹ 42.89 करोड़ का व्यय आधिक्य किया, जो परिचायक है कि विभाग ने यथार्थवादी आधार पर बजट नहीं बनाया था साथ ही व्यय को नियंत्रित करने में ढिलाई बरती गई थी।

(v) आधिक्य व अभ्यर्पण विवरणी के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब

हिमाचल प्रदेश बजट नियमावली के अनुसार विभागाध्यक्ष को बजट अनुमान एवं आधिक्य व अभ्यर्पण का विवरण क्रमशः 1 अक्टूबर व 15 जनवरी अथवा वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पूर्व वित्त विभाग को प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

इसके अतिरिक्त, वित्त विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार ने आधिक्य व अभ्यर्पण विवरणी प्रस्तुत करने की तिथियां निर्धारित करते हुए निर्देश जारी किए (9 अगस्त 2023), जो थे- आधिक्य व अभ्यर्पण की प्रथम विवरणी 31.10.2023 को, आधिक्य व अभ्यर्पण की द्वितीय विवरणी 31.12.2023 को तथा आधिक्य व अभ्यर्पण की तृतीय विवरणी 15.03.2024 से पूर्व वित्त विभाग को प्रस्तुत की जाएं। विवरणियों के प्रस्तुतीकरण का ब्यौरा **तालिका 3.31** में दिया गया है।

तालिका 3.31: आधिक्य व अभ्यर्पण विवरणी प्रस्तुत करने में विलम्ब

क्र.सं	विवरण	देय तिथि	प्रस्तुति की तिथि	विलम्ब (दिनों में)
1	प्रथम आधिक्य व अभ्यर्पण विवरणी	31.10.2023	10.01.2024	71
2	द्वितीय आधिक्य व अभ्यर्पण विवरणी	31.12.2023	10.01.2024	10
3	अंतिम आधिक्य व अभ्यर्पण विवरणी	15.03.2024	30.03.2024	15

वर्ष 2023-24 की आधिक्य व अभ्यर्पण विवरणियों की संवीक्षा से उजागर हुआ कि ग्रामीण विकास विभाग ने वित्त विभाग को आधिक्य व अभ्यर्पण की प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय विवरणी 10 जनवरी 2024 एवं 30 मार्च 2024 को क्रमशः 10 दिन एवं 71 दिन के विलम्ब से प्रस्तुत की।

विभाग ने प्रत्युत्तर में बताया कि विभाग के क्षेत्राधिकार में 91 ब्लॉक हैं तथा क्षेत्रीय कार्यालयों से आंकड़े प्राप्त होने तथा मुख्यालय स्तर पर उनके समेकन में देरी के कारण बजट अनुमान व रिटर्न प्रस्तुत करने में विलम्ब हुआ। उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि वित्त विभाग द्वारा जारी निर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन किया जाना है तथा विभाग को अपने क्षेत्रीय/फील्ड कार्यालयों को समय-सीमा का पालन करने का निर्देश देना चाहिए था।

3.6 निष्कर्ष

वर्ष 2023-24 के दौरान बजट का समग्र उपयोग कुल अनुदान व विनियोजन का 92.59 प्रतिशत रहा।

वर्ष 2023-24 के दौरान चार अनुदानों के तहत सात मामलों में मूल बजट अनुमानों/अनुपूरक मांगों में कोई प्रावधान किए बिना एवं इस आशय का कोई पुनर्विनियोजन आदेश जारी किए बिना ₹ 94.36 करोड़ का व्यय किया गया।

अनुपूरक प्रावधान भी यथार्थवादी आधार पर नहीं थे क्योंकि 14 मामलों में ₹ 710.55 करोड़ के अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुए क्योंकि व्यय मूल प्रावधानों के स्तर तक भी नहीं पहुंचा। बजटीय आबंटन यथार्थ प्रस्तावों पर आधारित नहीं थे क्योंकि 12 अनुदानों से संबंधित 15 मामलों में अभ्यर्पण को छोड़कर बचत ₹100 करोड़ से अधिक हुई।

वर्ष 2023-24 के दौरान 40 योजनाएं ऐसी थीं जिनमें बजट प्रावधान (प्रत्येक मामले में ₹ एक करोड़ और उससे अधिक) किया गया परन्तु कोई व्यय नहीं हुआ।

वर्ष 2021-23 की अवधि में ₹ 2,444.31 करोड़ एवं वर्तमान वर्ष 2023-24 में ₹ 1,255.80 करोड़ का व्यय आधिक्य राज्य विधायिका द्वारा विनियमित किया जाना अपेक्षित था।

वर्ष के अंत में व्यय का तीव्र प्रवाह देखा गया। 19 मुख्य शीर्षों में प्रत्येक मुख्य शीर्ष के तहत 50 प्रतिशत से अधिक व्यय अंतिम तिमाही में किया गया एवं चार मामलों में 50 प्रतिशत से अधिक व्यय मार्च 2024 माह में किया गया। सभी अभ्यर्पण अंतिम दिन अर्थात् 31 मार्च 2024 को किए गए।

3.7 अनुशंसाएं

1. *राज्य सरकार बजट अनुमान तैयार करने के उसके पूर्वानुमानों में सटीक बनें।*
2. *सरकार अनुपूरक प्रावधान बनाने में बजट मैनुअल का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें एवं अनावश्यक अनुपूरक प्रावधानों से बचने के लिए अनुमान में पारदर्शिता सुनिश्चित करें।*
3. *सरकार बजटीय अनुमान तैयार करते समय राज्य में प्रमुख नीतिगत निर्णयों के वास्तविक कार्यान्वयन हेतु रणनीति बनाने पर विचार करें।*
4. *राज्य सरकार निर्धारित तिमाही लक्ष्यों के संदर्भ में व्यय की प्रगति सुनिश्चित करने एवं प्रत्याशित बचत/आधिक्य के आकलन हेतु नियमित निगरानी सुनिश्चित करें। प्रत्याशित बचत का अभ्यर्पण वित्तीय वर्ष की समाप्ति से बहुत पहले किया जाए ताकि उनका उपयोग अन्य योजनाओं हेतु किया जा सके।*
5. *विधायिका द्वारा अनुमोदित प्राधिकरण से अधिक व्यय से बचे एवं सभी आधिक्य को समयबद्ध रूप से विनियमित करें।*